




National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)


Report on visit of Dr. Yogesh Dube, Member, NCPCR

Rescue & Rehabilitation Initiatives in Uttarakhand



INTRODUCTION

The upper Himalayan territories of Himachal Pradesh and Uttarakhand are full of forests and snow-covered mountains and thus remain relatively inaccessible. They are home to several major and historic Hindu and Sikh pilgrimage sites besides several tourist spots and trekking trails. During mid of June 2013, the Uttarakhand and adjoining states received heavy rainfall, which was about 375 percent more than the benchmark rainfall during a normal monsoon. The melting of Chorabari Glacier at the height of 3800 meters and eruption of the Mandakini River led to heavy floods near Gobindghat, Kedardhame, Pithoragarh, Rudraprayag in Uttarakhand,



NASA satellite image of Northern India on June 17, 2013 exhibits heavy clouds

Himachal Pradesh and Western Nepal, and acute rainfall in other nearby regions of Delhi, Haryana, Uttar Pradesh and some parts of Tibet. Cloud bursts & heavy rainfall for four consecutive days in Uttarakhand as well as melting snow aggravated the floods. Warnings by the India Meteorological Department predicting heavy rains were not given wide publicity beforehand, causing thousands of people to be caught unawares, resulting in huge loss of life and property. It is predicted that more than 5000 lives have been lost during this worst disaster in Uttarakhand. Bodies of people washed away were found in distant places like Bijnor, Allahabad and Bulandshahr in Uttar Pradesh. Landslides, due to the floods, damaged several houses and structures, killing those who were trapped. The heavy rains

resulted in large flashfloods and massive landslides. A large number of structures including shrines, hotels, rest houses, commercial and residential buildings collapsed like a pack of cards in many districts of Uttarakhand. Entire villages and settlements such as Gaurikund and the market town of Ram Bada, a transition point to Kedarnath, had been obliterated, while the market town of Sonprayag suffered heavy damage and loss of lives. Pilgrimage centres in the region including Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath are visited by thousands of devotees, especially after the month of May onwards. Over 1 lakh pilgrims were stuck in various regions because of damaged or blocked roads.

A team led by Smt. Kushal Singh, Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), deputed by Smt. Krishna Tirath, Honorable Minister of States (I/C), made a visit to Uttarakhand on 3rd and 4th July, 2013. The Chairperson was accompanied by Dr. Vivek Joshi, Joint Secretary (Child Welfare Bureau, MWCD) and Ms. Harleen Walia, Consultant (MWCD). The prime purpose of the visit was to review the

response situation in the state post disaster with special focus on children. The team had meeting with state chief secretary and other senior officers, meeting with civil society organizations and a meeting with Sh. Vijay Bahugana, Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand (Annexed minutes of the meetings at page 23)

In sequel to the above, it was decided to attend Pithoragarh wherein floods had caused missing of more than thousand, washed out of houses, buildings, schools infrastructures, roads and bridges. In Pithoragarh, two blocks namely Munsiyari and Dharchula were heavily damaged during the recent floods and cloud burst in Uttarakhand. The district was so badly affected that helicopters couldn't land due to torrential rain and flooding. The National Commission for Protection of Child Rights made a visit to Pithoragarh, Uttarakhand from 30th July to 2nd August, 2013 primarily to review the child right scenario, rescue, relief and rehabilitation initiative undertaken by the local administration, state government, civil societies and others.

VISIT TO B. D. PANDEY, DISTRICT HOSPITAL, PITHORAGARH, UTTARAKHAND



DR. YOGESH DUBE, MEMBER, NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS VISIT TO DISTRICT HOSPITAL TO REVIEW PREPAREDNESS & DELIVERY OF HEALTH SERVICES DURING THE DISASTER

Dr. Yogesh Dube carried an observation visit to B. D. Pandey Hospital District hospital, Pithoragarh, Uttarakhand on 1st of August, 2013. During

the visit, he interacted with the patients admitted in the in-patient wards. It was observed that hospital was established in 1964 as 60 bedded hospital and upgraded to 120 bedded in 1986. The current strength of the hospital was 160 with facility of additional beds in verandas. It was noticed that hospital seriously lacked human



resource HR). It was found that only 13 medical officers were appointed against the approved 27 medical officers. The hospital was being run with less than 50% of medical personnel. The pathologist was a contractual staff. It was found that certain significant positions were lying vacant since long including pediatrician, orthopedic surgeon, cardiologist, pathologist, senior medical officers, eye surgeon and emergency medical officer. Uttarakhand being highly prone to earthquakes, cloud bursts, torrential rains, floods and other natural calamities, a district hospital can't be justifiable with less than 50% of medical officers. The Commission took a serious note of the issue of human resource (HR) in the B. D. Pandey District Hospital, Pithoragarh, Uttarakhand. There was heavy influx of patients and the hospital requires immediate upgrade to 200 bedded hospital with additional medical and paramedical staff.

The Commission noticed that there was no ambulance available in the district hospital. At times, they seek support from women hospital, Pithoragarh and utilize its ambulance. The hospital is being run on a 300ma X-ray unit which is much below the requirement. It was observed that being a district hospital the number of patients from remote and rural areas is increasing every day.



The hospital is facing a gap of Computed Axial Tomography (CT)/Magnetic Resonance Imaging (MRI) machine. The hospital requires physical repairs and a renovation on priority basis as the current condition of the hospital is very poor being established in 1964. The hospital is also facing financial difficulties due to poor

allocation of funds to the hospital. In such a low budget it becomes impossible to provide medicines to all the patients. As the patients load has increased manifolds there is urgent need to enhance the allocation of funds. During the Commission visit, monthly data on number of disaster affected patients was also presented. It was observed that a separate ward was established for disaster affected people. But majority of the beds were empty and general patients were made to bed on the ground. Therefore, the Commission issued direction to immediately shift patients to occupy all the vacant beds. The Commission instructed the authorities to ensure adequate compensation in above case as well to all those affected with the recent disaster.



During the visit of National Commission for Protection of Child Rights to Uttarakhand, a case of immense negligence was brought to the notice while visiting in-patients ward at B. D. Pandey district hospital, Pithoragarh, Uttarakhand. Smt. Durga, aged 47, a resident of Jumma village, was injured during a cloud burst near her village. In the absence of primary medical care in her home village or adjoining villages she couldn't receive timely medical attention. It was only after few days when she could reach to B. D. Pandey district hospital, Pithoragarh, Uttarakhand. But it was too late for her to recover. Her injuries reached to severe level and her right hand was amputated. The availability of primary health care at village level could have saved her right hand, if was in place.

STATUS OF RELIEF MEASURES AT RELIEF CAMPS

The Commission made visits to various relief camps to assess the situation of children, lactate mothers and pregnant women. It was reported that immunization is being provided to children and pregnant women residing in the camps as well to non-residents. The Commission made visits to various relief camps at GGIC, Baluwakot, Seepu, Chhoribagad and Ghatabagad in Dharchula. Reports were also received from Munsiyari, Pithoragarh, Uttarakhand, the Commission had fruitful interaction with children, women and other inmates of the camps.



DR. YOGESH DUBE, MEMBER, NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS INTERACTING WITH RESIDENTS OF RELIEF CAMPS IN TENTS

The families residing in relief camps established in tents complained of poor management of relief services. They pointed dripping of water from tent ceiling. They requested for proper shelter and relief services. They also complained of poor and no supply of electricity to families sheltering in tents. It was observed that health personnel were working with great passion and everybody regarded them for their work. It was revealed that though children are going to schools but don't have books and bags as these were washed away by flood. It was reported that children lack milk, clothes, shoes & socks, books and copies. Many of the children received their bags and books a day prior to visit by the Commission. During the visit, the Commission witnessed the havoc caused by recent floods and subsequent disaster in Pithoragarh. A landslide caused the blockage of the road completely. The team had to wait for more than two hours to get the road cleared and move further.



A road block due to landslide forbids futher move



Road being re-established



Interaction with Children about Schools...



Solar lights were provided by administration



Examination of medical relief service including the provision of medicines, vaccination etc.

There are many families who are still awaiting their turn for solar lights. There 99 families sheltering relief camp at Inter College, Dharchula. All the families expressed their concern over what will happen to their shelter once college reopens. As winter is just waiting to approach, affected families are concerned about availability of warm clothes and availability of shelter for all the affected families. It was noticed that only one LPG cylinder was being provided for four families for shared usage. Therefore, it was directed to provide 3 LPG cylinders instead of one LPG cylinder. During the interaction, it was brought to the notice of Commission that more than 530 families are alone affected in Dharchula and Musiyari blocks of Pithoragarh, Uttarakhand. It was very much prominent that there was lack of coordination between different departments to handle the disaster. The Commission also visited the medial camp being organized by health department. Dr. Yogesh Dube also interacted with village development officer, members of Block Development Committee, Chief District Program Officer and took stock of the situations. A meeting was also convened with the Deputy Director (Social Welfare) and District Probation Officer to understand the implementation of the various schemes and programmes in the district to the affected areas.



Meeting with N. K. Sharma, Deputy Director (Social Welfare), Uttarakhand and District Probation Officer

It was very much prominent that there was lack of coordination between different departments to handle the disaster. The Commission also visited the medial camp being organized by health department. Dr. Yogesh Dube also interacted with village development officer, members of Block Development Committee, Chief District Program Officer and took stock of the situations. A meeting was also convened with the Deputy Director (Social Welfare) and District Probation Officer to understand the implementation of the various schemes and programmes in the district to the affected areas.



Interaction with Affected Families in Relief Camps



A Mentally Retarded Child was bedded on ground and later shifted to bed on intervention



INSPECTION OF RELIEF CAMPS IN SCHOOLS

While visiting Relief Camp at Baluwakot, Dr. Yogesh Dube was accompanied by Ramesh Chand Phulara, Block Development Officer, Dharchula, Ajay Kushwaha, Principal, Ashram Schools, camp on-charge and Panchyat members and others. The affected family shared information on food, fuel, blankets and other relief materials. In school camp, it was found that infants/children were sleeping on the ground. Therefore, immediate instructions were issued to create provisions of Creche/Cradles for children and ensure proper hygiene and sanitation in all the relief camps. During the interaction with affected families, it was observed that families were very much worried about the future as they have lost their house and complete belongings. Portable water filters of Tata brand were provided to the affected families in the camps. But they didn't know how to

use these water filters. Dr. Yogesh Dube instructed the Anganwadi workers to demonstrate on how to use the filters and the solar lanterns.

MEETING WITH DISTRICT ADMINISTRATION, PITHORAGARH, UTTARAKHAND

On 1st August, 2013, the Commission convened a meeting with district administration at Vikas Bhawan, Conference Hall, Pithoragarh, Uttarakhand. The meeting was attended by district magistrate, chief education officer, district program officer, chief medical officer, social welfare officer and other senior official from various departments. First of all, the Commission expressed its solidarity for the people of Uttarakhand and



the condolence for the demise of so many people. After a welcome note by district magistrate, Dr. Yogesh Dube acquainted the participants about concerns of the Commission. He also emphasized that it is an extremely tough task under adverse conditions. He appreciated the attempts of the administration but also mentioned that despite difficulties the administration has to make best efforts and hard work to relieve people from pain and to reach

every affected family.

It was observed that 31 schools had been affected during recent floods and cloud bursts. But, earlier information to Commission was provided of 27 schools. Dr. Yogesh Dube raised his displeasure and disappointment on such variation in information with the District Education Officer. It was reported that there were 800 children in affected schools and no child causality was reported during or after the disaster. It was pointed in the meeting that because of summer vacations students were required to report only after 17th July, 2013. The Commission demanded a report on children affected with disaster, attendance in schools, update on the proposal for repair of damaged schools and inspection of all the unaffected schools for their fitness to organize/continue classes within a period of three days.

The Commission instructed all the concerned officials and staff engaged in Mid-day-Meal to take uttermost care in implementation and monitoring of the scheme. It was also stressed to ensure monitoring of scheme by

respective Panchayat. Instructions were also communicated to ensure safety, books, provisions for toilets, dresses, shoes & socks, and drinking water facilities to avoid any epidemic or infection to flourish.

The Education Officer shared that 3166 children in 11 secondary schools in the class range of 6 to 11 have been affected by recent disaster. Dr. Yogesh Dube suggested to concerned authority about a complete evaluation of school for its reuse for classes. He pointed that safety of the children must be placed on top priority. It was stressed that proposal for new constructions must be sent to state government with a copy to the Commission. It was also brought to the notice of the Commission that three anganwadi centres have been affected in recent floods. These anganwadi include Anganwadi at Baluwakot, Anganwadi at Khim and Anganwadi at New Shobla. With regard to Integrated Child Development Schemes, following directions were made:

- All the anganwadi must have a working weighing machine. There should be provisions of toys and books for all the children attending the anganwadi centre. The anganwadi must have nutritious foods
- Proposal to repair the damaged anganwadi must be submitted to the state government on priority with a copy of the proposal to the Commission.
- There should be provisions of adequate Nutrition Rehabilitation Centres to curb the menace of malnutrition
- Extensive implementation of SABLA Scheme and ICPS in the disaster affected areas.

During the discussion on the children and pregnant women in camps, the Chief Medical Officer informed the



Commission that there are 99 children in the age range 0 to 6 and 9 pregnant women. Dr. Yogesh Dube shared the experience of visits made to different relief camps. It was pointed to place a demand of 5 ambulances for relief camps to the government of Uttarakhand. It also suggested for providing uttermost care of pregnant women in relief camps. The Commission suggested for providing relief to all the victims of floods admitted in the district hospital. It was suggested to send proposal for doctors,

paramedical staff, machines and instruments for district hospital to the Commission. Social Welfare Officer was suggested to develop a proposal of children home and observation home in Pithoragarh district and, District Magistrate was suggested to finalize the land for the said proposal. Dr. Yogesh Dube inquired about the provision and functioning of women workshop in the district and also suggest for health examination of all the inmates by the Dr. Usha Gunjiyal, Assistant Medical Officer, district hospital, Pithoragarh.

The missing children profile revealed that some of the orphans have been handed over to their grandparents without consultation of Child Welfare Committee. Therefore, it was suggested to compile information on the needs of the children, date of handed over, willingness and capacity of the grandparents to take care of children. One of the members of Child Welfare Committee (CWC) shared that there are four orphan children in Munsiyari block. An inquiry on priority was suggested to be conducted by deputy district magistrate and block development officer. A speedy operation should be conducted to find out the missing women and children.



During the meeting, labour enforcement officer was asked to update on the number of registered labourers, affected and injured labourers, missing labourers, labourers' families, various welfare schemes extended to the families but the concerned officer could not provide any detail. Therefore, it was directed to furnish the details to the district magistrate and the Commission within three days.

The district administration was asked depute the labour enforcement officer specifically for next 14 days to work in the disaster areas. When enquired about the Anti Human Trafficking Unit, it was revealed that 12 peoples were booked for human trafficking in the month of last July. As the Nepal border was close to the district boundary, the concerns of human trafficking especially child trafficking was highlighted by Dr. Yogesh Dube. The concerned officers were instructed to be equip with necessary equipments and devices so that the menace of human trafficking be curbed.

Dr. Yogesh Dube desired adequate wirelesses and ensure strong incessant coordination among Seema Suraksha Bal (SSB), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) and district police department to combat the human trafficking. During the interaction it was noticed that 3 police stations were operational without vehicle and only 1 fire brigade vehicle was available. Therefore, it was suggested to prepare a proposal and submit to the state government with a copy to the Commission.

The police shared that during the disaster there was no reported instance of human trafficking or sexual assault. Helpline reported registration and disposal of all the 15 cases without any FIR/Action against the accused. Such status of the helpline raises concerns over the existence and functioning of the helpline in the Uttarakhand. It was directed that action should be taken on cases registered and should not be simply disposed off.

During the meeting, Dr. Yogesh Dube raised the concern over the supply of single LPG cylinder to many families in the relief camps. It was assured by concern authority that number of LPG cylinder shall be increased to three soon. It was also instructed to train the people on use of water filters in the relief camps. Based on the observations made during the field visits to different camps, it was suggested to ensure the supply and availability of solar lights, adequate mobile toilets, temporary toilets in relief camps, wheel chair for disabled in camps, crèche for children and adequate supply of milk & nutrition for infants and toddlers.

It was instructed to ensure adequate hygiene and sanitation in all the relief camps. It was mentioned in the meeting that all the blocks should be trained to handle the disaster, ensure close coordination between Zillah parishad and administration, fast track approval of different proposals of schools, anganwadi, availability of mobile toilets, cattle and animal care and mapping of disaster prone locations.

It was instructed to enhance the capacity of the different stakeholders through workshops and training. The gaps in data submission must be filled on a priority. There should be adequate provisions for satellite phones and communication devices. It was reported that only BSNL was operating in the area. Therefore, Dr. Yogesh Dube suggested to improve the communication services by inviting more tele service companies to reach the unreachable places and people can call during distress.

The Commission desired to build the human resource to tackle any disaster by training the NGOs, NSS, NCC, Home Guards, members of Nehru Yuva Kendra, Anganwadi workers, ASHA workers, ANM etc. The advisory issued by meteorological department must be communicated through media coordination. The coordination must be expanded to international stakeholders. The district disaster management officer was asked to submit the details of number of calls received at Disaster Control Room and action taken since 15th of July, 2013.

Dr. Yogesh Dube inquired from the Chief Probation Officer Uttarakhand state regarding information on missing children and number of death from district probation officers/district social welfare officers of Pithoragarh, Rudrapriyag, Utrakashi and Chamoli district but no data was shared. The letter sent by CPO was not responded by district authorities. Hence no data could be compiled. In such a severe disaster where thousands of people including children have been killed and officials having '0' data reflects the gravity of the situation. The absence of data shows the inadequate measures being taken by concerned officials. The following clipping of the letter explains the seriousness of the situation.

कार्यालय के पत्र संख्या 134 दिनांक 02 जुलाई, 2013 तथा पत्र संख्या 142 दिनांक 08 जुलाई, 2013 के द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद पिथौरागढ़, रूपद्रप्रयाग, उत्तरकाशी तथा चमोली को निर्देश दिये गये है। लेकिन किसी भी जनपद से मृत्यु/लापता आदि के संबंध में सूचना आतिथि इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

MEETING WITH ZILA PARISHAD, PITHORAGARH, UTTRAKHAND



DR. YOGESH DUBE, MEMBER, NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS INTERACTING WITH ZILA PARISHAD AND GOVT. OFFICIALS

The Commission had a meeting with President and members of the Zila Parishad, Pithoragarh, Uttarakhand



and governmental officials. During the meeting it was found that there was no dialogue/coordinating strategy between administration and Zila Parishad at in rendering relief services to the affected families. The Chairperson of the Parishad complained of not being involved in any rehabilitation by the district administration. She expressed her anguish for sidelining the parishad for any disaster relief response. But she congratulated the Commission for being called for any meeting

for the first time. The parishad shared in details the scenario of post disaster in the district, the damage caused by the disaster, relief and rehabilitative measures required at village, block, district, state and national level. A letter of their concerns was also provided to the Commission (Annexure: page 25-26). As the winter was



about to approach, a concern was raised over the adequacy and supply of warm clothes and other materials. Dr. Yogesh Dube asked them to provide their data regarding damaged building/structures of Zila Parishad, schools, Anganwadi, health institutions and mission children and women data.

They also demanded for supply of adequate number of solar lights to all the affected families. The issues of child education, pregnant women in relief camps, health camps in disaster affected areas, repair of damaged roads, financial support for construction of damaged houses and adequate rehabilitation measures were highlighted before the Commission. The Commission also had a meeting with the gram Panchayat. The villagers and

members of the Panchayat updated the Commission about the impact of recent disaster and the relief measures being provided by the district administration. They complained about the inadequate relief

measures being undertaken by the district administration. They also assured full support of Zila Parishad to administration and submitted a memorandum to Dr. Yogesh Dube.

VISIT TO WOMEN TRAINING CENTRE, PITHORAGARH, UTTRAKHAND



The so called Women Training Centre for destitute was visited by the Commission and an assessment was carried out of the centre. It was found that the centre was primarily designed to offer training to destitute women but the current status exhibited a very vague picture on the objective of the centre. Confusion was seen regarding purpose of the centre. The Commission witnessed following inmates during the visit:

1. Ms. Chandra aged 30 years is residing in the centre since 6th December, 2001. Reportedly, she was admitted in the home by her brother-in-law because of bad behavior of her step mother.
2. Km. Beena aged 16 years was brought by police on 14th June, 2013. She is under psychiatric treatment from district hospital
3. Smt. Tulshi Devi was sent to the center by magistrate on 6th June, 2007
4. Km. Pooja aged 12 years was sent by magistrate on 2nd July, 2013
5. Smt. Janki Devi aged 55 years is residing in the centre since 22nd June, 2013. She was brought by Police from Haldwani. She is suffering from psychiatric problem.
6. Ms. Anita aged 26 years was brought to the centre on 15th June 2006. It was pointed that while travelling she lost the directions and later arrested by Police at Mirzapur. She was then sent to Mathura and later transferred to Dehradun.
7. Ms. Basanti aged 56 years was admitted to the centre on 05th June, 1998.
8. Smt. Kamla aged 42 years is residing in the centre since 09th September, 2011. She is mentally disturbed as reported.
9. Smt. Maya is residing in the center since 6th December, 2003. She was referred by District Social Welfare Officer.

As per the above scenario, it was found that mixed inmates have been kept ranging different age and status. There were many older women as well as girl child. The concerned authorities were directed to upgrade the training centre with proper rules & regulations. Additional CMO was asked to complete health profile of all the inmates. The Deputy Director, Social Welfare was asked to check the government orders for facilities and propose vocational trainings.

MEETING WITH CHILD WELFARE COMMITTEE AND JUVENILE JUSTICE BOARD:

The Commission found that the Child Welfare Committee (CWC) was completely defunct since long. Only one member of CWC Mr. Manoj Pandey attended the meeting. Among the five members of the committee, one has expired and two of the members never attended any meeting. The Chairperson has resigned from the position. Reportedly, the members never received any Honorarium, remuneration, traveling allowance and stationary allowance from any competent authority. It was also reported that no infrastructure or working space has been allotted to the Committee either by state government or district administration. As there was no provision of child observation home or children home, the CWC faced tremendous difficulties in referring the children cases.

The meeting was attended by a member of the Juvenile Justice Board. Reportedly, because of repeated absenteeism by the other member and on the recommendation of the Chairperson of the JJB, the government has terminated her appointment and since then attendee is the lone member of the Juvenile Justice Board. The provisions of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 have been grossly violated in the district. The Commission was very displeased with the current status of the Child Welfare Committee and Juvenile Justice Board in the district.

Key Recommendations:

Based on the stock taking field visits, interaction with the affected families and meetings with concerned authorities, the following areas have emerged for further action by state government. The Commission desires an immediate action on the following suggestion:

District Administration:

- Compilation of data on missing children
- Enhancing international cooperation in curbing the menace of child trafficking
- Shifting affected families from tents to structured relief camps
- Supply of warm clothes, shoes and socks to children in relief camps

- Provision of Solar Lights to all the affected family particularly those sheltering in relief camps.
- Immediate relief, compensation and rehabilitative measures
- Monitoring quality of food in Mid Day Meal with active involvement of village Panchayat
- All the anganwadi must have a working weighing machine. There should be provisions of toys and books for all the children attending the anganwadi centre. The anganwadi must have nutritious foods
- Proposal to repair the damaged anganwadi must be submitted to the state government on priority
- Provisions of adequate Nutrition Rehabilitation Centres to curb the menace of malnutrition
- Mechanism of fast track approval of proposal from disaster affected areas
- Crèche for children and adequate supply of milk for infants and toddlers in relief camps
- Cattles and animal care in disaster affected locations
- Identification and allotment of land for Children home and Observation home
- Proposal for establishment of Children home and Observation home
- Formation of operational CWC and Juvenile Justice Board
- District Task Force should be created under the chairpersonship of District Magistrate and other concerned departments as members to coordinate every aspect of child trafficking in the district. The members must be senior officials from Department of Home affairs, Department of Labor, Department of Transport, Department of Tourism, Department of Health, Department of Education, Department of Law as well adequate NGOs representation.
- District Action Plan on Anti Child Trafficking must be created in all the states connecting Indo-Nepal Border on priority. The State Action Plan must reflect clear roles and responsibilities of all the concerned department including home, Women and Child Development, labour, transport, education, health, railway, tourism, legal and civil societies.
- Adequate electronic & digital equipments and strong incessant coordination among Seema Suraksha Bal (SSB), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) and district police department to combat the human trafficking
- Substantial patrolling on the Indo-Nepal border deterring people from human trafficking
- Fire brigade department to strengthen their skill and devices to tackle disasters
- Strong Interdepartmental coordination for dealing with any disaster
- Examine the functioning of Helpline in handling cases and develop Standard Operating Procedures (SOPs) for their operations
- Enhancing communication through inviting more service providers
- Workshops and training for capacity building of different stakeholders

- Build the human resource to tackle any disaster by training the NGOs, NSS, NCC, Home Guards, members of Nehru Yuva Kendra, Anganwadi workers, ASHA workers and ANMs.
- Adequate warning systems including the advisories by meteorological department must be communicated in coordination with audio, video, print and e-media to reach to larger section of the society.
- Senior officials of the Social Welfare department should visit the Mahila Training Centre and ensure clarity on the category of the centre/home and compliance to relevant Act (s).

Health Department:

- Up gradation of B. D. Pandey Hospital District hospital, Pithoragarh, Uttarakhand into 200 bedded hospital
- Filling up all the vacant medical and paramedical positions including pediatrician, orthopedic surgeon, cardiologist, pathologist, senior medical officers, eye surgeon and emergency medical officer
- Installation of Computed Axial Tomography (CT)/Magnetic Resonance Imaging (MRI) Systems in the district hospital
- Provision of five ambulances catering to the medical needs & care of families residing in relief camps
- Physical renovation of the B. D. Pandey Hospital District hospital, Pithoragarh, Uttarakhand
- 5 Ambulances for disaster affected areas and relief camps
- Adequate health and nutrition care for all 9 pregnant women in relief camps
- Need based care for all 99 children residing in camps.

Education:

- Rural Engineering Department to examine the suitability of schools where children have been shifted from disaster affected schools putting children safety on top priority
- Repair of damage in all the 31 affected schools
- Disaster resistance school buildings
- Supply of school bags books and copies to all affected families
- Adequate hygiene and sanitation in relief camps
- Forest department to ensure safety on priority.

Labour Department:

- Conduct Survey on labourers in the district and appointment of Labour Enforcement Officer to the disaster affected areas and extend all
- The labour department to develop an Action Plan on campaign against Child Labour and Child Trafficking for elimination of child labour/trafficking in Pithoragarh district, Uttar Pradesh.
- A task force must be formed at the district level to rescue child laborers under the Chairpersonship of District Magistrate. The other members of the task force shall be Deputy labour Commissioner as Member Secretary/Convener and Additional Deputy Commissioner of the district, Superintendent of Police, District Social Welfare Officer, District Medical Officer, Senior officials of Municipal Corporation in the district, Chairperson, CWC, representatives from prominent civil society organizations (CSOs) and NGOs as Members.
- The labour department shall conduct a detailed survey on the Child Labour in the district. The survey must cover the domestic child labourers
- The department shall take adequate measures to deliver best through the National Child Labour Project (NCPL) schools under Right to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009 ambit.
- The District Administration shall do mapping of all the labourers working disaster management, construction of roads, bridges etc. to ensure access to all the labour welfare schemes and services.

SUN
DAY

दिल्ली | उत्तर प्रदेश | उत्तराखण्ड | चंडीगढ़ | पंजाब | हरियाणा | हिमाचल | जम्मू-कश्मीर

बेनीताल | रविवार | 23 जून 2013

₹ 9 अंक 357, पृष्ठ 1

www.amarnama.com

आमर उजाला

आज का दिन सेना-वायुसेना के अभियान के लिए अहम

आवृत्तियाँ

राहत-बचाव कार्य पर छत्र आशंकाओं के बादले अगले 48 घंटों में मध्यम से तेज बारिश के आसार हेलीकॉप्टर उड़ानों में पीछा आ सकती है विकल्प चयनी, उन्नतकाली से बारिश संभव

भारत की सेना

शनिवार को जौलीघाट से हेलीकॉप्टर चार घंटे देरी से उड़ सके। सेना के प्रत्यक्ष मौखिक की चुनौती को देखते हुए अधिक से अधिक पैदल बरतने को प्रयास हो रहे हैं।

कहाँ कितने लोगों की बचाव कार्य

- कैलाश, रामबाबा, जंगलघाटी में कने 600 लोगों को सेना ने निकाला। 1800 को खोजों को सुव्यवस्था से बहनों के जटिल प्रतिक्रिया भेजा गया।
- कठकना में भी 12 बहनों में 600 को बचाने के लिए सेना को बहा बहरीनार, पुलना, धारिया में 1550, नौबतघाट में 885 लोग बचाव कार्य, भटवाड़ी, ननेरी से 550 तीर्थयात्री निकाले।

लोगों को
अलकन
द्वारा बने
भी बंदी
दिना ना
और को
www.a



ग्राउंड जीरो पर अमर उजाला

कुदरत के कहर के बाद कैचरनाथ धाम की पहली तस्वीर। बृहस्पतिवार को ग्राउंड जीरो पर अमर उजाला ने हालात का जायजा लिया। मंदिर के आस-पास का पूरा इलाका तहस-नहस हो चुका है। मंदिर के बाहर का चबूतरा मलदे में दब गया है। दरवाजे पर लगी नंदी की मूर्ति भी खंडित हो गई है। चारों ओर बड़े-बड़े पत्थर गिरे पड़े हैं। और फोटो देखें www.amarujala.com पर।




दिल्ली | उत्तर प्रदेश | उत्तराखण्ड | चंडीगढ़ | पंजाब | हरियाणा | हिमाचल | जम्मू-कश्मीर

₹०० वर्ष 9 अंक 353, पृष्ठ : 20

नेनीताल | बुधवार | 19 जून 2013

अमर उजाला

केदारनाथ में सब तबाह



REPORT – VISIT TO UTTARAKHAND POST NATURAL CALAMITY

A. BACKGROUND

1. The natural calamity in Uttarakhand, caused by cloudbursts and unprecedented heavy monsoon rainfall beginning on the night of 1st June, 2013, has severely affected the State leaving many dead, missing and homeless. It has reportedly resulted in the destruction of towns, villages, roads and bridges for more than 60 miles along the banks of two important tributaries of the river Ganges, the Mandakini and Alakananda. Worst affected areas, as reported by the State Government, include the districts of Uttarkashi, Rudrapur, Chamoli and Pithoragarh.

2. A team from Ministry of Women and Child Development (MWCD) was deputed by Honorable MOS (I/C) Smt. Krishna Tirath, to visit the State on the 3rd and 4th of July 2013 and express solidarity with the administration and people, as they struggle to cope with the aftermath of the disaster. Led by Chairperson National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), Smt. Kushal Singh, the team included as a member, Dr. Vivek Joshi, Joint Secretary (Child Welfare Bureau, MWCD) and Mrs. Harleen Walia, consultant (MWCD).

3. **OBJECTIVES:** The objective of the visit was to review, in consultation with various stakeholders, the response situation in the State post disaster, with special focus on children. The team held meetings with Shri Vijay Bahuguna, the Chief Minister of the State, senior officials of the Government of Uttarakhand led by Shri Subhash Kumar, Chief Secretary and also with representatives of civil society organizations (CSOs) working in Uttarakhand.

B. CONSULTATIONS WITH STAKEHOLDER

B.1 Meeting with the State Chief Secretary and Other Senior Officers:

4. In the discussions with officials of the State administration, held on 3rd July, 2013, led by Chief Secretary, Shri Subhash Kumar, Chairperson Smt. Kushal Singh reiterated that the objective of the team's visit was to express solidarity, to learn how the crisis is being handled, to offer whatever help may be possible through existing schemes of Central Government (MWCD) and to share similar experiences of handling of such calamities in other regions. One of

the major concern was that there was still no estimate of the number of children affected by the calamity. As reported, there was only one child currently being provided care and protection in the State. List of participants may be seen at Annex 'A'.

5. While expressing appreciation for the Ministry's initiative, Chief Secretary, Uttarakhand, highlighted issues related to the disaster and several initiatives taken by the State Government including:

(a) **World's largest evacuation initiative:** The State government reported that the Uttarakhand crisis was probably the world's largest evacuation initiative. The cloudburst began on the 16th of June, 2013 and by the 20th of June, traffic had completely stopped. Last rescue of pilgrims was done on the 1st of July, 2013. In the first phase the focus was on rescuing the pilgrims and subsequently efforts have been made to provide supplies for people stranded in villages that are completely cut off. Around 4200 villages were cut off as a result of the calamity, of which 1100 villages are still impossible to access. Food is now being airdropped in a phased manner to cut off villages. Around 700 local people are still stranded in Pithoragarh district. As a result, the State Government informed, no final estimate of persons and locals affected, including children, has been arrived at as yet. However, a 'missing persons' cell has been established in the Directorate, which is now in the process of collating data from various sources and a figure of affected persons (including children) would be arrived at, as soon as possible.

(b) **Police:** A directive has been issued by the Director General of Police (Crime) to all districts to prevent trafficking. Anti Human Trafficking Units have been sensitized and put on red alert in the four worst affected districts to check on children being taken across district borders. However, quantification of missing children has not yet been done.

(c) **Health:** The State Health department has instructed all ASHAs to distribute kits which include chlorine tablets, the main focus of their initiative being protection of pregnant women and immunization of children. Five teams of experts from Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW, GOI) have set up bases in four of the worst affected districts to deal with health outcomes of the disaster.

(d) **Implementation of the JJ Act:** As far as children are concerned, it was felt that CWCs were most suited to collate information on children including numbers affected. As per information provided by the chairperson State Commissioner for Protection of Child Rights (SCPCR), Shri Ajay Sethla, over 1200 children have been affected already, including 57 in Gupt Kashi, who have been orphaned by the calamity.

B.II Meeting with Civil Society Organisations

6. A meeting was also held with Civil Society Organisations working on child rights in the State on the 3rd of July, 2013 at Bijapur State Guest House, to assess the needs and situation of response vis a vis children affected by the disaster and understand what should be the immediate priorities in order to ensure their safety. Participants included state government officials from the departments of women and child and social welfare, child welfare committee members (CWCs), representatives from Childline India Foundation (CIF) and their partners in Uttarakhand and members of donor agencies, international non-governmental organisations and community based organisations working with children. A list of participants may be seen at Annex 'B'.

7. Areas of concern

Detailed discussions were held wherein several issues were highlighted, related to the rights and protection of children affected by the disaster, which required immediate attention, including:

a) **Putting together of Child specific data and response, including listing of affected children:** It was reported that there has been no official estimate of disaster affected children so far, including those who may have died or were orphaned, abandoned or missing. Those who may have died would not only include children of yatris but also children forced into labour who worked in the roadside eateries or as guides etc. near the shrines.

There was tremendous concern regarding the inadequate focus on needs of affected children and child specific data and response. Affected areas of Kumaon for instance were not being attended to. It was reported that even basic supplies were not being made available here

and problems, which needed urgent redressal, included loss of identification documents for local children. The immunization programme was also at a standstill.

b) **Coordination between State administration and CSOs:** Participants were vociferous regarding their preparedness to help through supplies, technical support etc. however, there was no access to areas which needed help or permission to intervene. Also, there was little information provided by the administration regarding nature of help needed. For instance there was no information being provided regarding schools and anganwadis which have been damaged badly or washed away. It was reported that the State Government has not held any coordination meeting with CSOs or issued directions for their compliance. The only meeting called with CSOs had been organized by the State Commission for Protection of Child Rights (SCPCR). The national child helpline number 1098 needed to be widely publicized so that so that rescue and follow up of children in crisis could be done in a systematic manner.

c) **Proactive intervention of Statutory Bodies under the Juvenile Justice (care and protection of children) Act, 2000 (JJ Act):** It was mentioned that though CWCs were already existing in every district, members needed orientation and handholding regarding their special role in the current circumstances. It was also reported that post disaster, it had become increasingly difficult for many CWC members to coordinate with each other as they lived in different areas and there was hardly any logistical support provided by the State administration for the same. The term of Juvenile Justice Boards (JJBs) has expired in March 2013, however, no notification for extension or for constitution of fresh Boards, has been made as yet.

d) **Implementation of ICPS:** There is immediate need for setting up of the safety net of services and personnel as envisaged under ICPS. Though the State has signed an MOU in January 2011 to implement the Scheme no financial proposal has been submitted to the State Government.

e) **Prevention of Trafficking:** As experienced in earlier calamities (Kosi floods, Odisha cyclone, tsunami etc.), trafficking of orphaned and missing children happen after such disasters. There was a need for monitoring of source and transit points to prevent this. A campaign on child protection issues such as trafficking is necessary to build awareness amongst families vulnerable to unsafe migration and exploitation.

C. 13. Govern a) be
B.III Meeting with Shri Vijay Bahugana Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand

9. The Hon'ble Chief Minister was briefed regarding issues emerging from the day long discussions with State Government as well as CSOs and was assured of MWCD's full support regarding speedy release of funds to the State under the existing Schemes. Emphasis was given on the need for:

- i) One department to handle child welfare, development and protection issues
- ii) Coordination and communication between State Government and CSOs
- iii) Sensitization of senior officers at the State and district level on child rights issues.
- iv) Creation of large scale awareness on child protection issues for the general public.

10. The Hon'ble Chief Minister assured MWCD team of creation of a single window mechanism for addressing Child protection and development issues, requested for inputs of NCPCR and Ministry to organize a State seminar for sensitization on Child Rights and Protection and also asked for information on the best practices for dealing with children who have been orphaned and abandoned by the natural calamity.

B.IV Press Conference

11. In the interaction with the local print and television media, all issues flagged with the State Government as well as Government of India's firm resolve to provide support to the State were reiterated, including expeditious release of funds based on State's proposal and deputation of a central team for formulation of a financial proposal under ICPS. Media was also requested to provide wide publicity to the National toll free Child helpline number, 1098 and spread the message that any child in crisis needs to be reported to this number for referral and help. It was also shared that as reported by the State Government, a final figure of affected families and children would be arrived at, in two or three days.

C. Issues and priority actions highlighted by the MWCD team:

13. Several issues and actions on priority were highlighted by the MWCD team to the State Government. These are as under :

a) **Database on affected children needs to be in place:** This would need joint initiative between CSOs and the State administrator and include mapping of children in worst affected districts, (including data on missing children) as well as mapping of services being provided for children (appropriate food etc.)

b) **Need for a Single agency for administering child welfare and protection issues:** Currently the child development and Integrated Child Development Services (ICDS), is being looked after by the Department of Women Empowerment and Child Development (DWECD), whereas the protection issues such as JJ Act and Integrated Child Protection Scheme (ICPS) are being looked after by the Department of Social Welfare. This results into lack of co-ordination at the district level and with the MWCD. It was felt that ICDS, ICPS and JJ Act should be administered by the Women Empowerment and Child Development Department to ensure efficiency and better co-ordination at all levels.

c) **Implementation of ICPS:** The State has signed a Memorandum of Understanding (MOU) with MWCD to implement ICPS on January 2011. However, no fund has been released to the State so far under ICPS, as a complete financial proposal has not been submitted by them till date. As having a safety net of child protection personnel and services is crucial in the given circumstances, it was discussed that Ministry can depute a technical support team on an immediate basis to help the State formulate its financial proposal under the Scheme.

The proposal should focus on setting up of protection structures at state and district level, Open Shelters, Institutional care (various kinds of homes), establishing CWCs & JJBs and emergency outreach services (1098) and an innovative component such as a state and district cell for emergency response.

d) **Issues related to implementation of the JJ Act:** Identifying homes for rehabilitation of children is essential. For instance, existing Observation Homes which are underutilized can be converted into children's homes to address the current emergency need. CWCs must conduct sittings on a daily basis and the constitution of JJBs (government notification for extension of

term) is needed immediately. Also, nodal Child Welfare Officers may be designated in every police station.

e) **Appointment of a Nodal officer:** for liaison with CSOs/Donors/INGOs/SCPCR etc. Coordination meetings with all civil society stakeholders (NGOs) on a daily basis to assess and monitor what needs to be done and how. A focal point may be identified at district level at the level of Additional District Magistrate (ADM) for child protection.

f) **Accurate estimate of affected Anagarwari Centre (AWCs):** 100% financial support would be provided for reconstruction /upgradation of all AWCs which have been destroyed as a result of the calamity.

g) **Proposals under the other Schemes of the MWCD:** Keeping in view the special requirements post disaster, fresh proposals related to Integrated Child Development Scheme (ICDS), SABALA, Rajiv Gandhi National Crèche Scheme (RGNCS), etc. need to be submitted immediately.

h) **Orientation of officers regarding role in emergency:** The State was advised to issue an advisory to all officials dealing with child development and welfare issues regarding their 24x7 role during emergency response with respect to providing services to affected children.

i) **Awareness regarding 1098:** large scale publicity regarding the national toll free child helpline number 1098 for reporting of children in crisis was urgently required, to ensure appropriate follow up and rehabilitation especially of orphan, abandoned children.

D. CONCLUDING OBSERVATIONS

14. While, considerable information was gathered regarding emergency response services being provided for children and recommendations made to the State Government, there are certain areas (recorded in para 13 above) on which more initiative needs to be taken. This includes:

- i) Immediate need for assessing the number of children affected by the calamity and providing care and protection;
- ii) Making single Department responsible for administering child welfare and protection issues;

- iii) Widespread awareness regarding 1098, toll-free national helpline for children in crisis;
- iv) Immediate implementation of ICPS in the State and redressal of issues regarding implementation of the JJ Act;
- v) Submission of fresh proposals under other existing schemes namely ICDS, SABALA, IGMSY, RGNCS etc., keeping in view in the current disaster;
- vi) Putting in place coordination and communication mechanisms between the State Government and civil society organizations and appointment of a nodal officer for such coordination;

15. Though expeditious implementation of existing laws and Schemes related to welfare and protection of children will provide much needed relief to affected families, further steps need to be taken to address protection of child rights in disaster situations in long run. These steps could include orientation of State and district level officers regarding protection of children during emergency situations; formulation of a Standard Operating Procedure (SOP) on child protection measures in emergency response; formulating a policy for children orphaned by natural disasters etc.

Vivek Joshi
(Dr. Vivek Joshi)
Joint Secretary, Ministry of Women &
Child Development
Government of India

Kingh
(Kushal Singh)
Chairperson, National Commission for Protection
of Child Rights (NCPCR)

वित्तीय वर्ष 2013-14 में देवी आपदा से क्षति एवं प्रभावितों में वितरित राहत सहायता का विवरण दिनांक 29.06.2013 तक।

क्र० सं०	नाम	जनहानि					घात					पूरुहानि					पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन					पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन				
		मृतको की संख्या	कितने के आश्रितों को सहायता वितरित की गयी	कितरित की गयी धनराशि (लाख ₹ में)	घायलों की संख्या	कितने घायलों को सहायता वितरित की गयी	कितरित की गयी धनराशि (लाख ₹ में)	मृत पशुओं की संख्या	कितने के सहायता वितरित की गयी	कितरण की गई धनराशि (लाख ₹ में)	पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या	एकका कच्चा	गैरशाला	एकका कच्चा	गैरशाला	एकका कच्चा	गैरशाला	एकका कच्चा	गैरशाला	कितरित की गयी धनराशि (लाख ₹ में)	कितने को सहायता वितरित की गयी	आवृत्त धनराशि (लाख ₹ में)	आवृत्त धनराशि के सापेक्ष व्यय (लाख ₹ में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	पिबौरगढ़	-	-	-	-	-	-	03	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	डौंडीहाट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	घारबूला	02	01	5.00	12	12	1.20	407	-	-	369	-	07	27	-	54.00	-	-	-							
4	मुनस्यारी	03	03	9.00	05	02	0.04	1334	-	-	24	-	-	24	-	24.00	-	-	-							
5	मंगोलीहाट	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
6	बेरीनाग	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-							
	योग	05	04	14.00	19	14	1.24	1745	-	-	394	-	08	51	-	78.00	-	-	-							
	वडहील का सं०	आर्थिक क्षतिग्रस्त भवन					दौष्य क्षतिग्रस्त भवन					कृषि इन्फुट साक्षिदा					वितरित की गयी अक्षुण्ण सहायता (लाख ₹ में)					आवृत्त धनराशि के सापेक्ष व्यय (लाख ₹ में)				
		आर्थिक क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या	कितने के सहायता वितरित की गयी	कितरित की गयी धनराशि (लाख ₹ में)	दौष्य क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या	कितने के सहायता वितरित की गयी	कितरण की गयी धनराशि (लाख ₹ में)	कृषि इन्फुट साक्षिदा	वितरित की गयी अक्षुण्ण सहायता (लाख ₹ में)	आवृत्त धनराशि के सापेक्ष व्यय (लाख ₹ में)																
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35										
1	पिबौरगढ़	04	03	0.057	05	-	-	-	-	-	-	-	34	2.72	10.00	2.777										
2	डौंडीहाट	01	01	0.019	01	-	-	-	-	-	-	0.19825	-	-	10.00	0.21725										
3	घारबूला	-	-	-	39	-	01	-	1.00	-	-	-	125	10.00	160.00	71.20										
4	मुनस्यारी	01	01	0.019	05	01	05	01	0.315	0.032	-	-	57	3.078	160.00	36.484										
5	मंगोलीहाट	05	04	0.076	11	-	-	-	-	-	0.0256	-	-	-	5.00	0.1016										

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत भीषण आपदा से प्रभावित बच्चों की सूचना।

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	वह बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी है।	वह बच्चे जो गुमशुदा हैं।	वह बच्चे जो विकलांग हो गये हैं।	वह बच्चे जो अनाथ हो गये हैं।	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी है।
01	धारदूला	-	08	-	05	08
02	मुनस्वारी	-	-	-	-	02
03	पिथौरागढ़	-	-	-	-	-
04	बेरीनाग	-	-	-	-	-
05	कनालीडीना	-	-	-	-	-
06	गंगोलीहाट	-	-	-	-	-
07	मूनाकोट	-	-	-	-	-
08	डीडीहाट	-	-	-	-	-
	योग	-	08	-	05	10

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत भीषण आपदा से प्रभावित बच्चों की सूचना आयुवार ।

क्रमांक		01 वर्ष से 6 वर्ष	6 वर्ष से 18 वर्ष
1	वह बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी है।	-	-
2	वह बच्चे जो गुमशुदा है।	-	08
3	वह बच्चे जो विकलांग हो गये है।	-	-
4	वह बच्चे जो अनाथ हो गये हैं।	01	04
5	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हों।	04	06

		4-श्री सुरेश सिंह परिहार, आयु 18 वर्ष, ग्राम खेत, धारचूला, 5- मा0 विवेक परिहार , आयु 07 वर्ष, ग्राम खेत, धारचूला,	पिता श्री डिंगर सिंह परिहार एवं माता श्रीमती मंजू परिहार , ग्राम कनार, पी- कनार हाल धारचूला , दिनांक 16-06-2013 से गुमशुदा	नाना के साथ धारचूला के साथ रह रहे हैं।
05	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हों।	1- कु0 निर्मला , आयु 09 वर्ष, ग्राम खुमती , धारचूला, 02- कु0 करिश्मा , आयु 06 वर्ष ग्राम खुमती , धारचूला, 03- कु0 ज्योति , आयु 04 वर्ष, ग्राम खुमती , धारचूला, 04- कु0 सपना , आयु 03 वर्ष, ग्राम खुमती , धारचूला, 05- मा0 मोहित , आयु 01 वर्ष , ग्राम खुमती , धारचूला, 06- कु0 मनिषा , आयु 14 वर्ष , ग्राम स्यांकुशी , धारचूला, 07- मा0 गोकुल , आयु 13 वर्ष, ग्राम स्यांकुशी , धारचूला, 08- मा0 सुनील, आयु 13 वर्ष, ग्राम सेल, धारचूला	पिता श्री देवेन्द्र सिंह , पुत्र विशन सिंह , ग्राम खुमती, धारचूला , दिनांक 16-06-2013 से गुमशुदा	-
			पिता श्री नर सिंह कार्की पुत्र श्री जीवन सिंह कार्की ग्राम स्यांकुशी , धारचूला, दिनांक 16-06-2013 से गुमशुदा	-
			श्री लाल सिंह पुत्र खान सिंह , ग्राम सेल, धारचूला दिनांक 16-06-2013 से गुमशुदा	-

2- विकासखण्ड :- मुनस्वारी

क्र०	प्रभावित के आंकडे	नाम एवं पता	अभ्युक्ति	अन्य विवरण
01	वह बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी है।	-	-	-
02	वह बच्चे जो गुमशुदा है।	-	-	-
03	वह बच्चे जो विकलांग हो गये है।	-	-	-
04	वह बच्चे जो अनाथ हो गये है।	-	-	-
05	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी है।	01- कु0 अंजलि, आयु 16 वर्ष, ग्राम - दरकोट, मुनस्वारी, 02- मा10 अजय, आयु 12 वर्ष ग्राम - दरकोट, मुनस्वारी,	पिता श्री इन्दर सिंह लक्ष्मण सिंह, दरकोट, मुनस्वारी, दिनांक 16-06-2013 से गुमशुदा	दोनों बच्चे माता के साथ दिल्ली में रहते हैं। वही अध्ययनरत है।

3- विकासखण्ड :- डीडीहाट

क्र०	प्रभावित के आंकडे	नाम एवं पता	अभ्युक्ति	अन्य विवरण
01	वह बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी है।	-	-	-
02	वह बच्चे जो गुमशुदा है।	-	-	-
03	वह बच्चे जो विकलांग हो गये है।	-	-	-
04	वह बच्चे जो अनाथ हो गये है।	-	-	-
05	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी है।	-	-	-

4- विकासखण्ड :- गंगोलीहाट

क्र०	प्रभावित के आंकडे	नाम एवं पता	अभ्युक्ति	अन्य विवरण
01	वह बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी है।	-	-	-
02	वह बच्चे जो गुमशुदा है।	-	-	-
03	वह बच्चे जो विकलांग हो गये है।	-	-	-
04	वह बच्चे जो अनाथ हो गये है।	-	-	-
05	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी है।	-	-	-

5- विकासखण्ड :- बेरीनाग

क्र०	प्रभावित के आंकड़े	नाम एवं पता	अभ्युक्ति	अन्य विवरण
01	वह बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी है।	-	-	-
02	वह बच्चे जो गुमशुदा है।	-	-	-
03	वह बच्चे जो विकलांग हो गये है।	-	-	-
04	वह बच्चे जो अनाथ हो गये हैं।	-	-	-
05	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हैं।	-	-	-

6- विकासखण्ड :- कनालीछीना

क्र०	प्रभावित के आंकड़े	नाम एवं पता	अभ्युक्ति	अन्य विवरण
01	वह बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी है।	-	-	-
02	वह बच्चे जो गुमशुदा है।	*	-	-
03	वह बच्चे जो विकलांग हो गये है।	-	-	-
04	वह बच्चे जो अनाथ हो गये हैं।	-	-	-
05	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हैं।	-	-	-

7- विकासखण्ड :- मूनाकोट

क्र०	प्रभावित के आंकड़े	नाम एवं पता	अभ्युक्ति	अन्य विवरण
01	वह बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी है।	-	-	-
02	वह बच्चे जो गुमशुदा है।	-	-	-
03	वह बच्चे जो विकलांग हो गये है।	-	-	-
04	वह बच्चे जो अनाथ हो गये हैं।	-	-	-
05	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हैं।	-	-	-

7- विकासखण्ड :- विण

क्र०	प्रभावित के आंकड़े	नाम एवं पता	अभ्युक्ति	अन्य विवरण
01	वह बच्चे जिनकी मृत्यु हो गयी है।	-	-	-
02	वह बच्चे जो गुमशुदा है।	-	-	-
03	वह बच्चे जो विकलांग हो गये है।	-	-	-
04	वह बच्चे जो अनाथ हो गये हैं।	-	-	-
05	वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हों।	-	-	-

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई0सी0डी0एस0 पिथौरागढ़

- 1-जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या - 656 केन्द्र
जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या- 455 केन्द्र
कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या- 1111 आंगनवाड़ी केन्द्र
कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या- 36534 बच्चे (जन्म से 06 वर्ष के)
- 2-बाल विकास परियोजना धारचूला में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या - 101 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 30 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र
बाल विकास परियोजना मुनस्यारी में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या- 78 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 53 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र
- 3- बाल विकास परियोजना मुनस्यारी के अन्तर्गत पंजीकृत बच्चों की संख्या- 4330 बच्चे (जन्म से 06 वर्ष के)
- 4- बाल विकास परियोजना धारचूला के अन्तर्गत पंजीकृत बच्चों की संख्या - 5304 बच्चे (जन्म से 06 वर्ष के)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई0सी0डी0एस0 पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आंगनबाड़ी / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की परियोजनावार सूचना
 जिला कार्यकम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 पिथौरागढ़ ।

क0 सं0	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र		मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	
		स्वीकृत आं0बा0 केन्द्र	संचालित आं0बा केन्द्र	स्वीकृत मिनी आं0बा0 केन्द्र	संचालित मिनी आं0बा0 केन्द्र
1.	धारवूला	101	101	30	30
2.	गंगोलीहाट	96	96	75	75
3.	मुनस्यारी	78	78	53	53
4.	पिथौरागढ़	118	118	33	33
5.	बेरीनाग	74	74	80	80
6.	कनालीछीना	76	76	75	75
7.	भूनाकोट	60	60	57	57
8.	डीडीहाट	53	53	52	52
	योग-	656	656	455	455

लाभार्थी की संख्या से सम्बन्धित रिपोर्ट

क्र० सं०	परियोजना का नाम	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	3 से 6 वर्ष के बच्चे	गर्भवती महिला	छात्री महिला	योग
1.	धारचूला	2903	1848	528	553	5832
2.	गंगोलीहाट	3801	2219	621	708	7349
3.	मुनरसारी	2383	1508	382	439	4712
4.	पिथौरागढ़	3611	1496	602	638	6347
5.	बेरीनाग	2212	1577	413	517	4719
6.	कनालीखीना	1917	1505	365	408	4195
7.	मूनाकोट	1713	874	348	374	3309
8.	डीडीहाट	1935	1025	289	370	3619
	योग:-	20475	12052	3548	4007	40082

आपदा राहत कार्य में आई0सी0डी0एस0 विभाग के अधिकारी एवं कार्मिकों के द्वारा किये गये कार्यों का विवरण-

जनपद पिथौरागढ़ में आई प्राकृतिक आपदा में विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा निचले स्तर पर कार्य प्रारम्भ किया गया था। दिनांक 18-6-2013 को सुश्री चन्द्रप्रभा रायण, बाल विकास परियोजना अधिकारी धारचूला एवं श्रीमती गायत्री कुटियाल द्वारा आपदा ग्रस्त गांव गोठी का भ्रमण कर आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को आपदा पीडितों का सर्वे कर आवश्यकता पडने पर आंगनवाड़ी केन्द्र के मेडिसन किट से उपलब्ध दवाओं को वितरित करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 18-6-2013 को पंचायत घर में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र बलुवाकोट, अत्यधिक भारी बारिश में काली नदी में समाहित होने की सूचना, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को भेजी गयी।

इसी प्रकार बाल विकास परियोजना अधिकारी धारचूला एवं मुख्य सेविकाओं द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्रों (सीपू नयीबस्ती, विदर्ग कालिका, जौलजीबी, छारछुम, विजयसार, रांधी, बोनगोठी/निगालपानी, गोठी) का भ्रमण कर केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुरक्षित स्थान पर संचालित करने की कार्यवाही की गयी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं महिलाओं को आपदा के समय सर्तक रहने की सलाह दी गयी। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा रांधी, गोठी में पुष्पाहार (इण्डिया मिक्स) पहुंचाया गया जिसे वहां के लाभार्थियों में वितरित किया गया। निदेशालय आई0सी0डी0एस0 उत्तरखण्ड देहरादून के निर्देशानुसार आ0बा0 कार्यकर्त्री निगपानी द्वारा पैदल यात्रियों एवं महिलाओं, बच्चों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया गया। उनकी आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध करायी गयी।

आपदाग्रस्त क्षेत्र लुम्बी, तोली, घट्टाबागड़ (बन्दरखेत), छोरीबागड़ के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कमशः सरस्वती वैष्णव, श्रीमती सावित्री मल्ल, श्रीमती जयन्ती मल, कुं0 खण्डी परिहार एवं श्रीमती दिशा द्वारा आशा कार्यकर्त्रियों के साथ आपदा पीडितों को क्लोरिन की गोली बाँटी गयी तथा आवश्यकतानुसार सामान्य बिमारियों की दवा भी वितरित की गयी।

आपदा राहत शिविर गोठी, रा0इ0का0 धारचूला0 में लाभार्थियों (गर्भवती, धान्नी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों)को सर्वे किया गया, तथा लाभार्थियों को 25 दिन का पूरक पोषाहार वितरित किया गया। आपदा शिवरों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गयी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा आपदा शिविर में बच्चों का समय-समय पर वजन लिया गया, बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि बच्चों को निकटतम स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र में भेजा जाय।


बाल विकास परियोजना कार्यालय के कार्मिकों एवं स्थानीय दुकानदार श्री लवीन्द्र सिंह नबियाल, के सहयोग से ग्राम बूंदी एवं कूंटी की महिलाओं एवं बच्चों को साडियां, सूट, फ्राक, कमीज पेन्ट, स्वेटर, चप्पल, टीशर्ट, आदि की सामग्री वितरित की गयी।

जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में धारचूला हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी डीडीहाट एवं मुनस्यारी हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी गंगोलीहाट को आपदा राहत कार्य में अथक्षति सहायोग हेतु नामित किया गया।

बाल विकास परियोजना अधिकारी डीडीहाट हाल धारचूला द्वारा अवगत कराया गया कि आपदा राहत कैम्प बलुवाकोट, रा0ई0का0धारचूला,गोठी, सीपू नयी बस्ती, में भ्रमण कर निरीक्षणोपरान्त आगनबाड़ी कार्यकर्त्तियों को कैम्प में निवास कर रहे लाभार्थियों (गर्भवती, धात्री, एवं 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक को) का सर्वे किया गया तथा आ0बा0 कार्यकर्त्तियों को 0-6 वर्ष के बच्चों का वजन लेने हेतु निर्देशित किया गया, कि कैम्प में रह रही गर्भवती एवं किशोरी बालिकाओं को आयरन फोलिक एसिड गोली खाने की दी जाय। उक्त के अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव एवं प्रसव पूर्व की तैयारी की जानकारी दी गयी, आशा कार्यकर्त्तियों के माध्यम से आयरन की गोली दिलवायी गयी।

बाल विकास परियोजना अधिकारी हाल मुनस्यारी द्वारा आपदा राहत शिविरों का निरीक्षण किया गया एवं सर्वे किया गया तथा आपदा राहत कार्य में बच्चों का वजन लिया गया तथा कोई भी कुपोषित बच्चा नहीं पाया गया। गर्भवती धात्री को संस्थागत प्रसव की भी जानकारी दी गयी।

जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1063/आपदा राहत कार्य एवं बचाव/2013-14 दिनांक 18 जुलाई 2013 में दिये गये निर्देशों के क्रम में धारचूला एवं मुनस्यारी में बनाये गये राहत शिविरों में आगनबाड़ी कार्यकर्त्तियों की तैनाती किये जाने के पश्चात कार्यकर्त्तियों द्वारा अपने-अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई0सी0डी0एस0
पिथौरागढ़

दिनांक 01.08.13 को डा0 योगेश दुबे सदस्य राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के जनपद भ्रमण के अवसर पर बैठक से सम्बन्धित बिन्दुओं का विवरण

1. वर्ष 2013 में महिला हेल्प लाईन में प्राप्त शिकायतों का विवरण-

जनपद	कुल प्राप्त शिकायतें	निस्तारित	लम्बित
पिथौरागढ़	15	15	-

2. जनपद में बच्चों से सम्बन्धित दर्ज शिकायतों एवं उनके निस्तारण का विवरण-जनपद में वर्ष 2013 में अभी तक बच्चों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुयी हैं।

3. गुमशुदा बच्चों का विवरण-

क्र0	थाना	गुमशुदा का विवरण	गुमशुदा की तिथि	वापसी की तिथि
1.	कोतवाली पिथौरागढ़	हिमांशु राज पुत्र नरेश राज नि0 सिनेमा लाईन क्रस्बा पिथौरागढ़। उम्र-17 वर्ष।	4.2.13	13.3.13
2.	कोतवाली पिथौरागढ़	रोहित प्रसाद पुत्र हरी प्रसाद नि0 ग्राम देवत कोतवाली पिथौरागढ़। उम्र-17 वर्ष।	28.5.13	15.7.13

4. बाल कल्याण अधिकारियों का विवरण-

S.N	Name of the Police Station	Name/Designation of the CWO	Contact No. of the CWO	Contact NO of Police Stations
1	Kotwali	S.I Vijya	-	05964-225238
2	Kanalichina	H.C Keshar Ram	9411194821	05964-259000
3	Didihat	S.I Khushal Ram	-	05964-232128
4	Thal	S.I Chandan Singh	9917732478	05964-277132
5	Askot	S.I Mangal Singh	9456141961	05964-238722
6	Jauljivi	S.I Padma Bisht	-	05967-223636
7	Baluwakot	S.I Vinod Yadav	-	05967-226477
8	Berinag	S.I Vijendra Shah	-	05964-244640
9	Dharchula	S.I Ramesh Rajwar	9410909200	05967-222204
10	Munsiyari	S.I Bishan Ram	-	05967-222213
11	Jhulaghat	S.i P.C Malkani	-	05964-259323

5. जनपद में निराश्रित बालकों का विवरण-शून्य।

6. बाल अपराधियों का विवरण-

क्र0	थाना	अ0सं0	घास	वादी	प्रतिवादी	दि0घटना दि0सूचना	घटना का विवरण
1.	कोतवाली पिथौरागढ़	30/12	60 आ0अधि0/420/467/468/471भादवि	श्री गोपाल राम आर्या आबकारी निरीक्षक पिथौरागढ़	धर्मेन्द्र जोशी पुत्र उमेश जोशी नि0 धारीधमौड़ पिथौरागढ़	20.5.12 20.5.12	विधि विवादित किशोर द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर फिकअप में अवैध शराब परिवहन करना।
2.	थल	11/13	354/376/511 भादवि	श्रीमत रेखा भट्ट पत्नी श्री अशोक भट्ट नि0 भदयूड़ा पो0 बूंगाछीना थाना थल	संतोष पुत्र गिरीश सिंह नि0 नखनौली थाना थल। उम्र-14 वर्ष	25.6.13 25.6.13	विधि विवादित किशोर द्वारा वादिनी की पुत्री का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें करना तथा बलात्कार का प्रयास करना।

आपदा से सम्बन्धित विवरण

1.दिनांक 16.06.13 से आपदा के दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग से सम्बन्धित विवरण-जनपद में आयी दैवीय आपदा के दौरान अभी तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से सम्बन्धित मामला प्रकाश में नहीं आया है।

2.यौन शोषण से सम्बन्धित घटनाओं का विवरण-जनपद में आपदा के दौरान किसी भी थाना क्षेत्र से यौन शोषण का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

3.18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जो आपदा राहत शिविर में रह रहे हों, जिनके अभिभावकों की आपदा के दौरान मृत्यु/लापता का विवरण- जनपद में 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं, जिनके अभिभावकों की आपदा के दौरान मृत्यु हुयी हो।

4.दिनांक 16.06.13 से हैल्प लाईन नं0-1090 पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण का विवरण-जनपद में वर्ष 2013 में 1090 नं0 पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

.....

हैलीकाप्टर द्वारा लोगों को निकाले जाने एवं राहत सामग्री पहुंचाये जाने का विवरण

31.07.2013

क्र०सं०	ग्राम का नाम	हैली आपरेशन द्वारा लोगों को निकाले जाने का विवरण		हैली आपरेशन द्वारा पहुंचायी गयी राहत सामग्री का विवरण (कुन्टल में)	
		निकाले गये व्यक्ति	शेष व्यक्ति	पहुंचायी गयी सामग्री	शेष सामग्री
1	2	3	4	5	6
1	धारचूला	18	0	230.45	0
2	तिजम	754	0	167.8	0
3	सेला	36	0	26	0
4	नागलिंग	138	0	39.65	0
5	सोसा	139	0	111.74	0
6	जिप्ती	442	0	160.1	6
7	तिदाग	105	0	29	0
8	छीयालेख	26	0	0	0
9	पांगला	69	0	56.9	14.3
10	सोबला	134	0	31	4.8
11	दुम्तु	82	0	36	0
12	बालिंग	142	0	25.4	0
13	बोन	142	0	48	0.8
14	गुजो	127	0	83.55	35.35
15	खेला	45	0	0	0
16	थाडीघार	1	0	0	0
17	माछो	0	0	7	0
18	बरम	0	0	3.5	0
19	दर	146	0	73.15	0
20	पांगु	76	0	108.4	0
21	जुम्मा	0	0	8.8	0
22	सिखा	54	0	36.4	98
23	छीराकेला	13	0	23.45	0
24	चल	30	0	21.8	0
25	झीमीर गांव	9	0	16.3	0
26	सुवा	32	0	22.4	0
27	बुधी	28	0	33.6	0
28	गब्यांग	15	0	22.4	10.4
29	रुंग	171	0	107.2	0
30	कन्जाती	0	0	8.8	0
31	न्यू सोबला	0	0	7.2	0
32	स्याकुडी	48	0	72.4	0
33	कुलौगाड	12	0	18.4	0
34	मुनस्यारी	2	0	2.3	0
35	बंगापानी	112	0	325.13	0
36	मिलम	52	0	77.1	5.2
37	मरतोली	11	0	31.7	0
38	पाछू	4	0	0.75	0
39	सालम	60	0	31.75	0
40	रिलकोट	1	0	2.1	0
41	लस्या	0	0	5.25	0
42	तोला	0	0	1.2	0
43	मापा	0	0	4.5	0
44	खिलांच	0	0	1.05	0
45	गनघर	0	0	1.5	0
46	सिरतोला	125	0	398.1	0
47	गोल्फा	6	0	43.2	0
48	बोना	0	0	7.5	0
	महा योग-	3407	0	2569.92	174.85

कुल सॉर्टिंग की संख्या=542

उपरोक्त सूचनाएं दूरभाष / फॉक्स से प्राप्त एवं अनंतिम है

170.85

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक बी०डी०पाण्डे जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़.
सं० विविध/जि०चि०/सुदृढीकरण/2013-14 दिनांक 1-8-13
सेवा में,

डा० योगेश दुबे, सदस्य
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली ।

दिनांक 1-8-13 को प्रातः आप द्वारा किये गये जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा चिकित्सालय में भर्ती आपदा पीडित रोगियों को देखा गया ।

इसी क्रम में आपको चिकित्सालय की समस्याओं से निम्नवत अवगत कराना है ।

1:- बी०डी०पाण्डे जिला चिकित्सालय का निर्माण वर्ष 1964 में 60 शैया स्वीकृत भवन का निर्माण किया गया । तदोपरान्त निर्मित भवन में ही पुनः 1986 में 60 अतिरिक्त शैया कुल 120 शैया स्वीकृत किये गये । वर्तमान में कुल स्वीकृत 120 शैयाओं के विरुद्ध 160 रोगियों को चिकित्सालय के बरामदे में अतिरिक्त शैया लगा कर भर्ती रोगियों को उपचारित किया जा रहा है । जो कि स्वीकृत शैयाओं से 40 अतिरिक्त रोगी भर्ती है ।

2:- वर्तमान में चिकित्सालय में प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित कुल 27 विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल 13 चिकित्सक ही कार्यरत हैं तथा एक पैथालोजिस्ट संविदा पर कार्यरत हैं ।

3:- वर्तमान में चिकित्सालय में निम्न विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारियों के पद लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं ।

1:- बालरोग विशेषज्ञ-एक सयपद 2:- आर्थो सर्जन- एक पद 3:- कार्डियोलोजिस्ट-एक पद
4:- पैथालोजिस्ट - एक पद 5:- बरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी- दो पद 6:- इमरजेंसी मेडिकल आफिसर- दो पद
6:- जी०डी०एम०ओ-एक पद तथा नेत्र सर्जन- दो पद

चिकित्सालय की वर्तमान रोगी संख्या वृद्धि को देखते हुए 200 शैया स्वीकृत किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिसके लिए अतिरिक्त चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

4:- चिकित्सालय में वर्तमान में एक भी यरोगी वाहन नहीं है यदा कदा रोगी वाहन की आवश्यकता पड़ने पर महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ की रोगी वाहन रोगी को उपलब्ध कराई जाती है ।

5:- चिकित्सालय में वर्तमान में 300एम०ए०क्षमतावाली एक्सरे मशीन कार्यरत है तथा वर्तमान में डिजिटल एक्सरे मशीन की आवश्यकता है ।

जिले में एक मात्र उच्चकृत संस्थान होने के कारण दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले रोगियों की संख्या में दिनां प्रतिदिन वृद्धि होने से चिकित्सालय का कार्यभार बढ़ता जा रहा है तथा रोगियों के हित में एक सीटी/एम०आर०आई० उपकरण की नितान्त आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

6:- चिकित्सालय भवन का निर्माण 1964 में मात्र 60 शैया क्षमता का हुआ है जिसमें वर्तमान में 120 शैया स्थापित हैं, भवन जीर्ण क्षीर्ण दशा में है जिसका सुदृढीकरण की नितान्त आवश्यकता है ।


इसी प्रकार चिकित्सालय में दिन प्रतिदिन रोगी संख्या वृद्धि को देखते हुए बजट अत्यन्त कम आवंटन हो रहा है जिससे सभी रोगियों को चिकित्सालय से औषधियां उपलब्ध कराया जाना संभव सयनही हो पाता है । बजट आवंटन हेतु महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० उत्तराखण्ड देहरादून को समय समय पर मांग पत्र भेजा जाता है किन्तु अपेक्षित धनराशि आवंटित नहीं हो पाती है ।

जिला चिकित्सालय में विगत 5 माहों में आपदा वार्ड में भर्ती रोगियों का विवरण निम्नवत है ।

क्रमसं० माह एक्सीडेंटल रोड साईड एक्सीडेंटल
!:- मार्च 2013 63 49

क्रमशः—2

क्रमसं० माह	एक्सीडेंट	रोड साईड एक्सीडेंटल
2- अप्रैल 2013	32	07
3- मई 2013	39	11
4- जून 2013	36	03
5- जुलाई 2013	30	14


 प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक
 बी०डी०पाण्डे जिला चिकित्सालय
 पिथौरागढ़

1/08/13-

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी०डी०पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के निम्नलिखित आदेशों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

- 1- चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाओं का निष्पादन करना।
- 2- चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाओं का निष्पादन करना।
- 3- चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाओं का निष्पादन करना।
- 4- चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाओं का निष्पादन करना।
- 5- चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाओं का निष्पादन करना।

क्रमसं० माह	एक्सीडेंटल	रोड साईड एक्सीडेंटल
2- मई 2013	33	08

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक बी०डी०पाण्डे जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़.
सं० विविध/जि०चि०/सुदृढीकरण/ दिनांक 1-8-2013
सेवा में,

डा० योगेश दुबे
सदस्य,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली ।

दिनांक 1-8-2013 को आप द्वारा किये गये जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा चिकित्सालय में भर्ती आपदा पीडित रोगियों को देखा ।

इसी क्रम में आपको चिकित्सालय की समस्याओं से निम्नवत अवगत कराना है ।

1:- बी०डी०पाण्डे जिला चिकित्सालय का निर्माण वर्ष 1964 में 60 शैया स्वीकृत भवन का निर्माण किया गया । तदोपरान्त निर्मित भवन में ही पुनः 1986 में 60 अतिरिक्त शैया स्वीकृत की गई एवं वर्तमान में कुल 120 शैया इस चिकित्सालय में स्वीकृत है । तथा स्वीकृत शैया के विरुद्ध वर्तमान में 160 रोगी चिकित्सालय के बरामदे में अतिरिक्त शैया स्थापित कर भर्ती किये गये हैं । जो कि स्वीकृत शैया से 40 अतिरिक्त रोगी भर्ती हैं ।

2:- चिकित्सालय में वर्तमान में प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित कुल 27 विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध 13 चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं तथा एक संविदा पर पैथालोजिस्ट कार्यरत है ।

3:- वर्तमान में चिकित्सालय में निम्न विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारियों के पद लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं ।

1- बालरोग विशेषज्ञ- एक पद 2- आर्थो सर्जन- एक पद 3- कार्डियोलोजिस्ट- एक पद
4- पैथालोजिस्ट- एक पद बरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी- दो पद 5- इमरजेंसी मेडिकल आफिसर- दो पद
6- जी०डी०एम०ओ०- एक पद तथा नेत्र सर्जन- दो पद


चिकित्सालय की वर्तमान रोगी संख्या वृद्धि को देखते हुए 200 शैया स्वीकृत किया जाना आवश्यकीय है । एवं 200 शैया स्वीकृत पर अतिरिक्त चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की भी आवश्यकता होगी ।

4:- चिकित्सालय में वर्तमान में एक भी रोगी वाहन उपलब्ध नहीं है यदा कदा रोगी वाहन की आवश्यकता पडने पर महिला चिकित्सालय की रोगी वाहन रोगी को उपलब्ध कराई जाती है ।

5:- चिकित्सालय में वर्तमान में 300एमए०क्षमता वाली एक्सरे मशीन कार्यरत है तथा वर्तमान में एक डिजिटल एक्सरे मशीन की नितान्त आवश्यकता है ।

जिले में एक मात्र चिकित्सालय होने के कारण दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले रोगियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने से चिकित्सालय का कार्यभार बढ़ता जा रहा है तथा के हित में एक सी०टी०/एम०आर०आई की नितान्त आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

6:- चिकित्सालय भवन वर्ष 1964 में मात्र 60 बैड क्षमता वाला बना है जिसमें वर्तमान में 120 शैया स्वीकृत है, भवन जीर्ण क्षीर्ण दशा में जिसका सुदृढीकरण का आवश्यकता है ठसी प्रकार चिकित्सालय में रोगी संख्या को देखते हुए बजट अत्यन्त कम आवंटन किया जाता है जिससे सभी रोगियों को चिकित्सालय से औषधियां उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पाता है । बजट आवंटन हेतु महानिदेश, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प००क० उत्तराखण्ड देहरादून को समय मसय पर मांग पत्र भेजा जाता है ।


प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक
बी०डी०पाण्डे जिला चिकित्सालय
पिथौरागढ़ ।

बी० डी० पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।

स्टाफ पोजिशन विवरण वर्ष 2012-13

क.सं.	नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
1	डा० एन०एस०कुटियाल	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	1	1	-	
2	-	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	6	2	4	
3	-	नेत्र सर्जन	2	-	2	
4	डा० एन० एस० गुन्ज्याल	रेडियोलोजिस्ट	1	1	-	
5	डा० हरिशंकर कौशिक	एनेस्थेसिस्ट	1	1	-	
6	डा० के० एस० बोहरा	डेंटल सर्जन	1	1	-	
7	डा० वीरेन्द्र मिश्रा	जनरल सर्जन	1	1	-	
8	डा० डी० एस० धर्मशक्तू	फिजिशियन	1	1	-	
9	डा० आर०सी०पुनेडा	ई०एन०टी० सर्जन	1	-	1	वरि०चिकि०अधि० डा० पुनेडा ई०एन०टी० सर्जन का कार्य देख रहे हैं।
10	डा० के० एस० मेहता	आर्थो सर्जन	1	-	1	वरि०चिकि०अधि० डा० मेहता आर्थो सर्जन का कार्य देख रहे हैं।
11	-	बालरोग विशेषज्ञ	1	-	1	
12	-	पैथोलोजिस्ट	1	-	1	
13	डा० त्रिभुवन प्रसाद	चर्मरोग विशेषज्ञ	1	1	-	डा० हेम चन्द्र जोशी (संविदा) पर कार्यरत हैं।
14	-	कार्डियोलोजिस्ट	1	-	1	वरि०चिकि०अधि० डा० प्रसाद (यू०पी०कैडर) कार्य देख रहे हैं।
15	डा० नरेन्द्र शर्मा	ब्लड बैंक चिकित्सा अधिकारी	1	1	-	
16	डॉ० बी०एस०यादव	ई०एम०ओ०	2	1	1	डॉ० बी०एस०यादव, वरि०चिकि०अधि०, (यू०पी०कैडर) कार्य देख रहे हैं।
17	डा० एम० सी० रजवार डा० संजय कुमार	चिकित्सा अधिकारी	3	2	1	
18	-	जी०डी०एम०ओ०	1	-	1	
1	श्रीमती विनिता सिंह	सहायक मैट्रन	1	1	-	
1	श्रीमती सुमन गुन्ज्याल	सिस्टर	7	7	-	
2	श्रीमती विक्टोरिया मैकनाइट	- तदैव -	-	-	-	
3	श्रीमती डौली ग्रीन तिवारी	- तदैव -	-	-	-	
4	श्रीमती माया रावल	- तदैव -	-	-	-	
5	श्रीमती तारा टण्डन	- तदैव -	-	-	-	
6	श्रीमती सुनीता सक्सेना	- तदैव -	-	-	-	
7	श्रीमती दीपिका डीन	- तदैव -	-	-	-	
1	श्रीमती शिल्पा खडायत	स्टाफ नर्स	19	17	2	
2	श्रीमती विनिता जयमंगल	- तदैव -	-	-	-	
3	श्रीमती निलिमा सिंह	- तदैव -	-	-	-	
4	श्रीमती शबाना बानो	- तदैव -	-	-	-	
5	श्रीमती दीपिका दास	- तदैव -	-	-	-	
6	श्रीमती अनिता सिंह	- तदैव -	-	-	-	
7	श्रीमती रूपम किर्सोलाइट	- तदैव -	-	-	-	
8	श्रीमती पल्लवी सिंह	- तदैव -	-	-	-	
9	श्रीमती जया खाती	- तदैव -	-	-	-	

10	भुवनेश्वरी	- तदैव -	-	-	-	
11	राजेश्वरी	- तदैव -	-	-	-	
12	किरन उप्रेती	- तदैव -	-	-	-	
13	मनिषा चन्पाल	- तदैव -	-	-	-	
14	श्रीमती निलम आर्या	- तदैव -	-	-	-	
15	मनिषा बिहारी	- तदैव -	-	-	-	
16	मनिशा सिंह	- तदैव -	-	-	-	
17	श्रीमती दीपा रावत	- तदैव -	-	-	-	
18	कचन नाथ	- तदैव -	-	-	-	
1		प्रभारी फार्मसी अधिकारी	1	-	1	मु.चिकि.अधिकारी से सम्बद्ध
1	श्री आर0एस0बिष्ट	चीफ फार्मासिस्ट	5	4	1	
2	श्री पी0एस0धानिक	- तदैव -	-	-	-	
3	श्री एस0डी0पाठक	- तदैव -	-	-	-	
4	श्री जे0के0पन्त	- तदैव -	-	-	-	
1	श्री पी0के0जोशी	फार्मासिस्ट	5	5	-	
2	श्री आर0डी0कत्यूरा	- तदैव -	-	-	-	
3	श्री के0एस0अधिकारी	- तदैव -	-	-	-	
4	श्री पी0एल0वर्मा	- तदैव -	-	-	-	
5	श्रीमती नीलम जोशी	- तदैव -	-	-	-	
6	श्री बी0सी0पन्त	- तदैव -	-	-	-	
1	श्री राजेन्द्र राम	नेत्र सहायक	2	1	1	मु.चिकि.अधिकारी से सम्बद्ध 01 पद पर मोबाइल टीम के श्री आनन्द प्रकाश कार्यरत हैं।
1	श्री अशोक भट्ट	एक्स-रे टैव0	1	1	-	
1		डार्क रूम सहायक	1	-	1	01 पद पर श्री रवि पाण्डे संविदा पर कार्यरत हैं।
1	श्री दीवान राम	लैब टैव0	2	1	1	01 पद पर श्री नरेन्द्र नगरकोटी संविदा पर लैब सहायक, कार्यरत हैं। 01 पद पर श्री दीप चन्द्र पन्त, एच0आई0वी0काउन्सलर, संविदा पर कार्यरत हैं।
1	श्री शमशेर सिंह लुण्ठी	वाहन चालक	1	1	-	
1	श्री धर्मानन्द पाण्डे	डेंटल हाईजनिस्ट	1	1	-	
1		फिजियोथेरेपिस्ट	1	-	1	
1	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त	इलेक्ट्रीशियन	1	1	-	
1	-	लैब सहायक	1	-	1	
1	-	लैब टैव0 ब्लड बैंक	1	-	1	01 पद पर श्री दिनेश जोशी, आई0सी0टी0सी0, संविदा पर कार्यरत हैं।
1	श्री के0डी0 उप्रेती	प्रशासनिक अधिकारी	2	1	1	
1	श्रीमती प्रतिभा बोहरा	मुख्य सहायक	1	1	-	
1	-	प्रवर सहायक	1	-	1	
1	श्रीमती चन्द्रा पन्त	कनिष्ठ सहायक	2	1	1	
2	श्री रोशन बहादुर					
3	श्रीमती रेनु बृजवाल					2 पद अधिसंख्य पर कार्यरत है।

1	श्री कुन्दन राम	स्टोर किपर कम क्लर्क	1	1	—	
1	श्री दशरथ भारती	क्वालिटी मैनेजर	1	1	—	N.R.H.M. द्वारा संविदा पर कार्यरत
2	श्री चन्दन सिंह पवार	अधिशारी सहायक	1	1	—	N.R.H.M. द्वारा संविदा पर कार्यरत
3	श्रीमती योगिता चन्द	प्रोमिस डाटा आपरेटर	1	1	—	N.R.H.M. द्वारा संविदा पर कार्यरत
1	श्री भुवन चन्द्र तिवारी	चतुर्थ श्रेणी	2	1	1	
	—	वार्ड ब्याय/वार्ड आया/स्वच्छक	30	23	7	
1	श्री धन सिंह	वार्ड ब्याय	—	—	—	
2	श्री गंगा दत्त	-तदैव-	—	—	—	
3	श्री एम0सी0गहतोड़ी	-तदैव-	—	—	—	
4	श्री मदन मुरारी	-तदैव-	—	—	—	
5	श्री लीलाधर	-तदैव-	—	—	—	
6	श्री जगत सिंह	-तदैव-	—	—	—	
7	श्री दुर्गा सिंह	-तदैव-	—	—	—	
8	श्री जगत चन्द	-तदैव-	—	—	—	
9	श्री कुण्डल सिंह	-तदैव-	—	—	—	
10	श्री नारायण सिंह	-तदैव-	—	—	—	
11	श्री विनोद जोशी	-तदैव-	—	—	—	
12	श्री गिरीश चन्द	-तदैव-	—	—	—	
13	श्री भूपेन्द्र	-तदैव-	—	—	—	
14	श्री दीपेन्द्र	-तदैव-	—	—	—	
15	श्री देव सिंह	चौकीदार	—	—	—	
16	श्री रोशन लाल	चौकीदार	—	—	—	
17	श्री सुरेश सिंह	वार्ड ब्याय	—	—	—	
18	श्रीमती हेमादेवी	वार्ड आया	—	—	—	
19	श्रीमती पार्वती देवी	वार्ड आया	—	—	—	
20	श्रीमती देवकी भट्ट	वार्ड आया	—	—	—	
21	श्रीमती मीना देवी	वार्ड आया	—	—	—	
22	श्रीमती पूनम	स्वच्छक	—	—	—	कार्य से अनुपस्थित
23	श्री दर्शन लाल	-तदैव-	—	—	—	
24	श्री महेश कुमार	-तदैव-	—	—	—	मु0चिकि0अधि0से सम्बद्ध

दिनांक- 05.07.2013

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक,
बी0डी0पाण्डे जिला चिकित्सालय,
पिथौरागढ़।

Date: 01/08/2013

क्रम सं.	संचालित शिविर का नाम	प्रभावित परिवारों की संख्या	जनसंख्या का विवरण					LT
			पुरुष	महिला	बच्चे (0-6 वर्ष)		गर्भवती महिला	
					पुरुष	महिला		
1	गोठी	16	21	23	1	5	1	3
2	नया बस्ती सीपू	19	34	35	2	1	0	1
3	बलुवाकोट	14	14	22	3	5	2	1
4	तोली बन्दरखेत							
5	खनपैरा	2	4	5	0	0	1	0
6	घट्टाबगड़	27	64	51	4	2	1	6
7	लुन्ती	6	10	13	2	0	0	0
8	मोरी	6	13	13	1	0	0	0
9	छोरीबगड़	12	15	13	2	0	0	0
10	धारचूला	112	134	76	18	21	2	3
	कुल धारचूला	214	309	251	33	32	7	14

camp shift into
Ghattabagad

ब्लॉक- मुनस्यारी								
1	तल्ला दुम्मर	25	43	20	2	8	1	3
2	घापा	13	14	9	2	1	0	3
3	मदकोट (श्रीग कम्पनी कालोनी)	12	25	19	5	3	0	2
4	मदकोट(टीआरस ी)	11	20	17	3	1	0	1
5	बंगापानी	42	180	159	6	1	0	0
	कुल मुनस्यारी	103	282	224	18	14	1	9
	हायोग	317	591	475	51	48	8	23

01/08/2013 14:00

0135

IMPORANT

DIRECTRTE MINEROTIS

PAGE 02

ई.मेल/फैक्स

प्रेमक,

मुख्य परिदीक्षा अधिकारी,
महिला कल्याण(परि.से.मु.)
उत्तराखण्ड-देहरादून।

सेवा में,

डा० बोगेरा बुने,
म०सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
द्वारा जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक (११-म.क./सी.पी.ओ./बा.क./भ्रमण/2013-2014 दिनांक 01 अगस्त, 2013

विषय:- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मा० सदस्य डा० योगेश बुने के दिनांक 30 जुलाई, 2013 से 02 अगस्त, 2013 तक पिथौरागढ़ भ्रमण के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक दिनांक 16-17 जून, 2013 को उत्तराखण्ड राज्य में आयी दैवीय आपदा में मृत्यु/लापता व अनाथ/निराश्रित तथा विकलांग हुये बच्चों के सर्वेक्षण कर सूचना उपलब्ध कराये जाने तथा दैवीय आपदा में निराश्रित/अनाथ हुये बच्चों को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था को जिला बाल समिति कि स्वीकृति के पर्याप्त ही सौंपा जाय विशेषकर दत्तक (गोद) लेना व देना आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संबंध में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 134 दिनांक 02 जुलाई, 2013 तथा पत्र संख्या 142 दिनांक 08 जुलाई, 2013 के द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद पिथौरागढ़, रूपद्रप्रयाग, उत्तरकाशी तथा चमोली को निर्देश दिये गये है। लेकिन किसी भी जनपद से मृत्यु/लापता आदि के संबंध में सूचना आतिथि इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

राज्य के 13 जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति की स्थापना की जा चुकी है। सूची संलग्न उक्त के अतिरिक्त राज्य में विभाग द्वारा अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिये आवासीय/अनावासीय संस्थायें संचालित है। जो निम्नवत् है :-

1. राजकीय सम्भक्षण गृह (बालक) निम्न जनपदों में संचालित है-1-देहरादून, 2-उत्तरकाशी 3-पौड़ी गढ़वाल 4-हरिद्वार, 5-उधमसिंह नगर, 6-हल्द्वानी-नैनीताल, 7-अल्मोडा।
2. राजकीय जिला अरणालय एवं प्रवेशालय (महिला) तरेन्द्र नगर-टिहरी,देहरादून, कोटद्वार-पौड़ी, हल्द्वानी-नैनीताल को राजकीय सम्भक्षण गृह (किशोरी) भी नामित किया गया।
3. राजकीय विशेष गृह जनपद हरिद्वार में संचालित हैं, तथा राजकीय संरक्षण गृह अल्मोडा को राजकीय विशेष गृह (किशोरी) भी नामित किया है।
4. 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिय राजकीय बाल गृह जनपद हरिद्वार में संचालित है।
5. राजकीय बालिक निकेतन, अल्मोडा एवं देहरादून को बाल गृह किशोरी भी नामित किया गया है।
6. 0 से 10 वर्ष आयु वर्ग के लिए राजकीय शिशु बाल गृह देहरादून एवं अल्मोडा में संचालित है।

कमरा :-2

9

01/08/2013 14:03 0135

DIRECTRTE MINEROTIS

PAGE 02

-2-

इनके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1:- श्री श्रद्धानन्द बाल वनिता आश्रम तिलक रोड देहरादून। 2:- इन्दिरा राष्ट्रीय चेतना समायोजित्याना संस्थान रायबाला मे बाल गृह संचालित है।

7. बाल कल्याण समिति राज्य के 13 जनपदों में संचालित है।(सूची संलग्न)
8. किशोर न्याय बोर्ड राज्य के 13 जनपदों में संचालित है।(सूची संलग्न)

दत्तक गृहण के सम्बन्ध में समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारियों को कारा द्वारा जारी गार्ड लार्डन का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

भवदीय,

01/08/13
(सैयद रहत अली)
प्र. मुख्य परियोजना अधिकारी,
महिला कल्याण(परि.से.मु.)
उत्तराखण्ड-देहरादून।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, पिथौरागढ उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ की वांछित सूचना अपने स्तर से डा0 योगेश दुवे, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्र. मुख्य परियोजना अधिकारी
महिला कल्याण(परि.से.मु.)
उत्तराखण्ड-देहरादून।

9857926786

9456176786

श्रीमती सुनीता देवी
अध्यक्ष



जिला पंचायत पिथौरागढ़

कार्यालय : 05964-225757

मोबाइल : 9837475984

8449949684

पत्रांक...376.....

दिनांक...01/08/2013..

सेवा में,

डॉ योगेश दुबे,
सदस्य, राष्ट्रीय बालक अधिकारी संरक्षण आयोग,
नई दिल्ली।

विषय :- दैवीय आपदा से हुई क्षति के संबंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.07.2013 को विकास खण्ड विण के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्यूनी दिनांक 08.07.2013 को विकास खण्ड धारचूला एवं दिनांक 27 एवं 28.07.13 को विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का पैदल भ्रमण किया गया, भ्रमण के दौरान संबंधित ग्रामवासियों एवं आपदा राहत शिविर में निवास कर रहे लोगों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख कतिपय मांगें रखी गईं, जिनका क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम पंचायत स्यूनी, विकास खण्ड विण, जनपद पिथौरागढ़।

1. दैवीय आपदा से प्रा0पा0 स्यूनी की दीवार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिसके पुनःनिर्माण की मांग की गई है।
2. ग्राम थरकोट तोक डालगाँव से स्यूनी गाँव तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है जिसके पुनःनिर्माण की मांग की गई है।
3. कतिपय ग्रामवासियों के आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत/पुनःनिर्माण हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग की गई है।

विकास खण्ड धारचूला, जनपद जनपद पिथौरागढ़।

1. जी0आई0सी0 आपदा राहत शिविर में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों की सूची अविलम्ब बनाये जाने की मांग की गई है।
2. जी0आपदा राहत शिविरों में अतिरिक्त गैस चूल्हा दिये जाने की मांग की गई है।
3. आपदा पिड़ित परिवारों हेतु अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराये जाने की मांग की गई।
4. दैवीय आपदा से जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य श्री हर सिंह धामी एवं श्री आन सिंह रोकाया, ध्वस्त भवनों के पुनःनिर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाने की मांग की गई। साथ ही उक्त सम्मानित सदस्यों के साथ दोबाटा, एन0एच0पी0सी0 सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण किया।

विकास खण्ड मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़।

1. मदकोट के अन्तर्गत श्रृंग राहत शिविर, में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों को गैस व राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तथा आपदा पिड़ित परिवारों का पुनर्वास एवं एवं रा0इ0का0 मदकोट में चाहरदिवारी भी किये जाने की मांग की गई है।
2. टी0आर0सी0 देवीबगड़ में निवास कर रहे आपदा पिड़ित परिवारों द्वारा उक्त स्थान को सुरक्षित न मानते हुये उन्हें कहीं अन्यत्र स्थान पर पहुँचाये जाने की मांग की गई है।

(कमशः)

श्रीमती सुनीता देवी
अध्यक्ष



जिला पंचायत पिथौरागढ़

कार्यालय : 05964-225757

मोबाइल : 9837475984

8449949684

पत्रांक.....

दिनांक.....

3. आपदा राहत केन्द्र मदकोट में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे कर्मचारियों द्वारा उन्हें सोलर लालटेन उपलब्ध कराये जाने की, माँग की गई है।
4. क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल/मोटर मार्गों की भी मरम्मत/पुनःनिर्माण की माँग की गई है।

ग्राम पंचायत, विषाड़, विकास खण्ड विण, जिला पिथौरागढ़।

1. ग्राम सभा भट्यूड़ा-थरकोट से कूचा तक सड़क में जगह-जगह गढ़वे हैं तथा मगरूनौले के पास सड़क की पूरी दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है अतः सड़क में शीघ्र डामरीकरण/हॉट मिक्स किये जाने व दीवार का पुनः निर्माण किये जाने की माँग की गई है।
2. ग्राम सभा विषाड़ में कतिपय ग्रामवासियों के भवन क्षतिग्रस्त हैं, जिनके पुनःनिर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाने की माँग की गई है।

इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में आपदा प्रभावितों की निम्न प्रमुख माँगें थी :-

1. धारचूला जी0आई0सी0 आपदा शिविर में एक ही कमरे में 10-15 लोग रह रहे हैं, उनके लिये अन्य कक्षाओं की व्यवस्था की जाय।
2. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न की व्यवस्था की जाय।
3. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
4. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाये जायें।
5. गर्भवती महिला, बच्चों एवं वृद्धों को हो रही कठिनाईयों को देखते हुये उन्हें आपदा ग्रस्त क्षेत्रों से अन्य सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाये जाने हेतु उचित व्यवस्थायें की जायें।

अतः महोदय से अनुरोध है कि, आपदा प्रभावितों की उपरोक्त माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उक्त माँगों को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही किये जाने की महति कृपा करेंगे।

संलग्न:- जी0आई0सी0 आपदा राहत शिविर में
रह रहे लोगों का पत्र।

भवदीय,


(सुनीता देवी)

Action Taken on the Recommendations made
by the Commission

डॉ० योगेश दुबे मा० सदस्य राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली भारत सरकार के
दिनांक 1-8-2013 को विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक: 1-8-2013 समय: 3:00 pm

स्थान :- विकासभवन सभागार

जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ द्वारा बैठक का सुभारम्भ किया गया तथा माननीय सदस्य डा० योगेश दुबे का जनपद आगमन पर स्वागत किया गया। तदपरान्त डा० दुबे द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों के सम्मुख राज्य बाल संरक्षण आयोग का विस्तृत ब्यौरा दिया गया तथा अपने द्वारा दिनांक 31-7-2013 को आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में किये गये भ्रमण के अनुभवों को व्यक्त किया

सर्वप्रथम मा० सदस्य द्वारा शिक्षा विभाग से आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों एवं बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के 31 विद्यालय प्रभावित हुये है, जबकि माननीय सदस्य को केवल 27 विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायी गयी थी जिस पर माननीय सदस्य द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। आपदा ग्रस्त विद्यालयों में कुल बच्चों की संख्या 800 के लगभग है, शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कोई भी बच्चा आपदा के दौरान घायल नहीं हुआ है, जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 17 जुलाई 2013 तक अवकाश घोषित किया गया था, 17 जुलाई, 2013 के बाद ही आपदाग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय संचालित किये गये। मा० सदस्य द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ से आपदा से प्रभावित हुये बच्चों की सूची एवं वर्तमान तक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति एवं आपदा के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालयों को पुनः बनवाने का प्रस्ताव तीन दिन के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

मा० सदस्य द्वारा विद्यालयों में संचालित मिड-डे मील योजना हेतु राशन उपलब्ध कराने तथा भोजन बनाने में सावधानियों को ध्यान में रखने तथा मिड-डे मील योजना की मॉनिटरिंग पंचायत स्तरों पर किये जाने के निर्देश दिये गये। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में वैकल्पिक विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा शौचालय ड्रेस, जूते- मौजे एवं पुस्तको आदि की व्यवस्था हेतु आदेशित किया गया।

मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 6 से 11 वी कक्षा तक के कुल 3166 बच्चे 11 माध्यमिक विद्यालयों में प्रभावित हुये है, मा० सदस्य द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों में विद्यालय संचालन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भवन को किसी भी प्रकार की आपदा से बच्चों को खतरा न हो,

नवीन भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के साथ ही एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध करायी जाये। (कार्यवाही: मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़)

जनपद पिथौरागढ़ के आपदा से क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूचना के विषय में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बाल विकास परियोजना धारचूला के तीन आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुये है 1-बलुवाकोट 2- खिम 3-न्यू शोबला,

मा0 सदस्य द्वारा आई0सी0डी0एस0 विभाग को निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

- 1-जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में वैडिंग मशीन ठीक हालत में होनी चाहिये साथ ही बच्चों के खिलौने, पुस्तकें आदि उपलब्ध होने चाहिये ।
- 2- क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के साथ ही आयोग को भी उपलब्ध करायी जाये।
- 3- जनपद में न्यूट्रिशन रिहेबिटेशन सेन्टर की स्थापना की जाये जिससे की बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जा सके।
- 4- आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही: जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पिथौरागढ़)

मा0 सदस्य द्वारा राहत शिविरों में रह रहे गर्भवती एवं बच्चों के विषय में मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ से जानकारी चाही मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्प में 0 से 6 वर्ष के 99 बच्चे एवं 9 गर्भवती महिलाएँ शिविरों में निवास कर रहे हैं। मा0 सदस्य द्वारा भ्रमण के दौरान शिविरों में रह रहे आपदा ग्रस्त लोगों की कठिनाईयों के विषय में बैठक में चर्चा की तथा निम्नलिखित निर्देश जारी किये :-

- 1- आपदा ग्रस्त शिविरों हेतु 5 अतिरिक्त एम्बुलैन्स की मांग शासन से की जाये।
- 2- गर्भवती महिलाओं हेतु शिविरों में विशेष ध्यान दिया जाये।
- 3- जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान भर्ती पाये गये आपदा में घायल श्रमिक को प्रशासन की तरफ से राहत राशि उपलब्ध कराए जायें।
- 4- जिला अस्पताल में खाली पड़े आपदा वार्ड का प्रयोग अन्य मरीज जो खुले बरामदे में सोये है उनके प्रयोगार्थ किया जाये ।
- 5- जिला अस्पताल हेतु आवश्यक डॉक्टर, स्टाफ एवं उपकरणों की मांग का प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध करायें। (कार्यवाही: मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद पिथौरागढ़)

मा0सदस्य द्वारा समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ से चिल्ड्रन होम एवं ऑबजरवेशन होम का प्रस्ताव बनाने के साथ ही जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को उक्त भवनों हेतु भूमि दान करने के निर्देश दिये गये। समाज कल्याण अधिकारी से जनपद में संचालित महिला कर्मशाला के कार्यों एवं प्रयोजन के विषय में जानकारी चाही गयी एवं उपचिकित्साधिकारी श्रीमती

उषा गुन्ज्याल को महिला कर्मशाला पिथौरागढ़ में निरीक्षण कर महिलाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद में आपदा के दौरान अनाथ हुये बच्चों की सूची से ज्ञात हुआ कि कुछ बच्चों अपने दादा दादी एवं नाना के संरक्षण में वर्तमान में रह रहे हैं। जिनके विषय में C.W.C के सदस्यों के संज्ञान में लिये बिना किस तिथि को दादा दादी एवं नाना के संरक्षण में प्रभावित बच्चे दिये गये तथा अनाथ बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश जारी किये। C.W.C के सदस्य श्री जगदीश कलौनी द्वारा मुनस्यारी ब्लॉक में 4 बच्चों के अनाथ होने की सूचना दी गयी है। प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त बच्चों आपदा से पूर्व ही अनाथ हो गये थे। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा जांच उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराये जाने हेतु आदेशित किया गया, सदस्य द्वारा C.W.C के कार्यालय हेतु भवन एवं आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को कहा गया।

(कार्यवाही : जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़)

श्रम प्रवर्तन अधिकारी पिथौरागढ़ से माननीय सदस्य द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में पंजिकृत श्रमिकों, राष्ट्रीय आपदा में घायल श्रमिकों, गुमशुदा श्रमिकों तथा ऐसे श्रमिकों की संख्या जिनके परिवार शिक्षा से महरूम है, की संख्या चाही गयी परन्तु श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया माननीय सदस्य द्वारा उपरोक्त समस्त सूचनाएँ तीन दिन के अन्दर जिलाधिकारी एवं आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये तथा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को श्रम प्रवर्तन अधिकारी को अगले 14 दिनों तक सूचनाएँ एकत्रित करने हेतु जनपद में ही बने रहने के आदेश जारी करने को कहा गया।

(कार्यवाही : श्रम प्रवर्तन अधिकारी ,पिथौरागढ़)

मा0 सदस्य द्वारा जनपद में एन्टीह्यूमन टैरिफ यूनिट द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ से जानकारी चाही, इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि विगत जुलाई माह में एन्टीह्यूमन टैरिफ से सम्बन्धित मामला प्रकाश में आया जिसमें 12 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गयी। माननीय सदस्य द्वारा जनपद पिथौरागढ़ को नेपाल सीमा से लगे होने के कारण एन्टीह्यूमन टैरिफ की ओर ध्यान देने को कहा गया साथ ही वायरलैस आदि की व्यवस्था एवं एस0एस0बी0 / आई0टी0बी0पी0 एवं पुलिस के मध्य समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा माननीय सदस्य को अवगत कराया गया कि 3 थानों में वाहन उपलब्ध नहीं हैं, एवं केवल 1 फायर ब्रिगेड की गाडी उपलब्ध है। माननीय सदस्य द्वारा वाहनों एवं फायर ब्रिगेड की गाडी की मांग शासन को भेजने के साथ ही प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि आपदा के दौरान किसी प्रकार की एन्टीह्यूमन टैरिफ, शारीरिक शोषण, आदि किसी प्रकार की कार्रवाई घटना प्रकाश में नहीं आया। जनपद पिथौरागढ़ में वूमन हैल्प लाइन संचालित है तथा अभी तक 15 मामलें प्रकाश में आये जो सभी निस्तारित हो गये है। उक्त मामलों में किसी पर भी एफ0आई0आर दर्ज नहीं हुई है, माननीय सदस्य द्वारा पुलिस अधीक्षक

पिथौरागढ़ से सभी 15 मामलों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही समस्त मामलों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही : पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़)**

मा0 सदस्य द्वारा बैठक में धारचूला के राहत शिविरों में भ्रमण के दौरान 1 गैस सिलिण्डर में कई परिवारों के खाना बनाने से अव्यवस्था उत्पन्न होने की सम्भावना व्यक्त की तथा इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि राहत शिविरों में अतिरिक्त गैस सिलिण्डरों की व्यवस्था शीघ्र की जायेगी, माननीय सदस्य द्वारा राहत शिविरों में पानी पीने हेतु फिल्टर की व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फिल्टर उपलब्ध है परन्तु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनके उपयोग हेतु राहत शिविर प्रभारी के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जाये।

जनपद पिथौरागढ़ को प्राप्त हो रहे विभिन्न श्रोतों से प्राप्त राहत सामग्रियों के सम्बन्ध में समस्त सूचनाएँ जैसे राहत सामग्री कहां से प्राप्त हुई, सामग्री कहां वितरित हुई, कितनी मात्रा में सामग्री वितरित की गयी आदि सूचनाएँ नगरपालिका हॉल के बाहर चार्ट के रूप में चस्पा की जाये, आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में सोलर लाईट वितरित किये जाने एवं राहत शिविरों में मोबाइल शौचालय की व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने, शिविरों में रह रहे विकलांग एवं बुजुर्ग व्यक्तियों हेतु व्हील चैयर, छोटे बच्चों हेतु झूला, एवं दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को कहा गया। राहत शिविरों में सेनिटेशन, हैल्थ एवं हाईजीन की संख्या बढ़ायी जाय। **(कार्यवाही : प्रभारी, आपदा राहत कार्य पिथौरागढ़)**

आपदा प्रभावित क्षेत्र धारचूला में दूरसंचार सेवा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ ने अवगत कराया गया कि क्षेत्र में केवल भारत संचार निगम की सेवा ही संचालित है, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा अन्य संचार कम्पनियों से संपर्क कर क्षेत्र में दूरसंचार को बेहतर करने हेतु कहा गया। **(कार्यवाही : जिलाप्रशासन, पिथौरागढ़)**

मा0 सदस्य द्वारा निर्देशित किया गया कि ब्लॉक स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, होम गार्ड, नेहरू युवा केन्द्र आंगनबाडी कार्यकर्त्री, आशा, ए0एन0एम0 आदि को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाये कि आपदा के समय तत्काल इनकी सेवा ली जा सके। आपदा से पूर्व मौसम विभाग का पूर्वानुमान मीडिया से समन्वय स्थापित करते हुये समस्त क्षेत्रों को सूचित किया जाये तथा इस सम्बन्ध में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय स्थापित किया जाये।

मा0 सदस्य द्वारा जनपद के आपदा प्रबन्धन अधिकारी पिथौरागढ़ को आपदा कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बरों पर कॉल करने वाले व्यक्तियों को तुरन्त सहायता प्रदान किये जाने हेतु आदेशित किया गया, तथा 15 जून, 2013 से वर्तमान तक प्राप्त कॉलों की सूचना तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण आयोग को तीन दिन के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, पिथौरागढ़)

जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ द्वारा समस्त अधिकारियों आदेशित किया गया कि माननीय सदस्य द्वारा चाही गयी सूचनाओ को समयान्तर्गत आयोग एवं जिला प्रशासन पिथौरागढ़ को उपलब्ध करायी जाये, तथा सदस्य महोदय को आश्वस्त किया गया कि उनके द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। अन्त में डॉ० योगेश दुबे माननीय सदस्य बाल संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली का आभार व्यक्त करते हुये बैठक का समापन किया गया।




(बी०एल०राणा)
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़

पत्रांक C560/बाल०आयोग/2013 दिनांक १५ अगस्त 2013

- प्रतिलिपि—
- 1- जिला कार्यक्रम अधिकारी , आई०सी०डी०एस० पिथौरागढ़।
 - 2- मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
 - 3- मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
 - 4- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिथौरागढ़।
 - 5- समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़।
 - 6- आपदा प्रबन्धक अधिकारी, पिथौरागढ़।
 - 7- जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
 - 8- पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
 - 9- जिलाधिकारी, महोदय पिथौरागढ़ को अवलोकनार्थ।



(बी०एल०राणा)
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़

आपदा में प्रभावित छात्रों के बारे में जाना

● राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने ली बैठक

● अमर उजाला ब्यूरो

पिथौरागढ़। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डा.योगेश दूबे ने विकास भवन सभागार में ली बैठक आपदा से प्रभावित हुए स्कूलों और इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पुस्तकों, वर्दी के बारे में जाना। बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए किशोर न्याय और जुवेनाइल बोर्ड के सदस्यों से सक्रिय भूमिका अदा करने की अपील की।

बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी डा.वीके टम्टा ने बताया कि पहली से आठवीं कक्षा तक के 31 स्कूलों के क्षतिग्रस्त होने से इन विद्यालयों के 799 बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। बच्चों के पठन-पाठन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी



पिथौरागढ़ विकास भवन में आयोजित बैठक में हिस्सा लेते डा.दूबे।

गई है। डा.योगेश दूबे ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुए सभी विद्यालयों के आगणन दो सप्ताह के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विद्यालयों में बनने वाले मिड डे मील की जांच करने के निर्देश भी सीईओ को दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी से जिले में चिल्ड्रन होम और शरणालय के लिए प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी से भूमि की उपलब्धता मुहैया कराने और श्रम विभाग को

धारचूला और मुनस्यारी में आपदा राहत कार्यों में लगे श्रमिकों के नाम, पते उपलब्ध कराने के साथ श्रमिकों का पंजीयन करने को कहा। बैठक में डीएम डा.नीरज खैरवाल, एसपी वीकेएस कार्की, उप निदेशक समाज कल्याण एके शर्मा, एडीएम बीएल राणा, परियोजना निदेशक नरेश कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, सीएमओ डा.जीबी विष्ट आदि मौजूद थे।

5-8-13

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

प्रेषित,

सचिव,
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

संख्या C-538 / तैतीस-कार्यक्रम / 2013 दिनांक अगस्त, 5, 2013

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं जनपद में माह जून में दिनांक 16/17 /18.2013 को हुई लगातार अतिवृष्टि उपरान्त जनपद में काफी अधिक क्षति हुई है एवं आम जनजीवन/रोजगार इत्यादि में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इसबीच भारत सरकार के राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, के सदस्य डॉ० योगेश दुबे दिनांक 30.7.2013 से 1.8.2013 तक जनपद के भ्रमण पर थे और उनके द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया। राहत शिविरों एवं प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं/किशोरियों से उनके द्वारा सम्पर्क कर समस्याओं की जानकारी ली। उनके द्वारा भी जनपद में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना-सबला संचालित करने की आवश्यकता बतायी गई।

इस आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक महिला एवं किशोरियों की दिनचर्या प्रभावित हुई हैं। जनपद में महिला एवं बाल विकास विभाग की कतिपय योजनायें संचालित हैं, इनके और सशक्तीकरण हेतु जनपद में केन्द्र पोषित योजना- "राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना-सबला" संचालित किये जाने की उपयोगिता प्रासांगिक होगी।


इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- (1) आत्म-विकास एवं सशक्तीकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना।
- (2) उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।

- (3) स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ए.आर.एस.एच.) और परिवार एवं बाल देख-रेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- (4) उनके घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना।
- (5) पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।
- (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाक घर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना /मार्गदर्शन प्रदान करना।

महिलाओं एवं किशोरियों के लिये स्वास्थ्य, पोषण, जीवन शैली से सम्बन्धित व्यवहार तथा किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य आदि के बारे में व्यापक जानकारी की आवश्यकता है। यहाँ पर पारिवारिक परिवेश में महिला की सामाजिक, आर्थिक, पारिम्परिक रोजगार, रहन-सहन आदि में अहम भूमिका है, जिसके लिए यह योजना लाभदायी हो सकती है। वर्तमान में यह योजना उत्तराखण्ड राज्य में जनपद हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली एवं नैनीताल में संचालित हो रही है।

अतः अनुरोध है कि जनपद पिथौरागढ़ में भी उक्त योजना को संचालित करने हेतु शासन स्तर से अग्रोत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।


भवदीय,


(डॉ० नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या एवं तिथि उक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिथौरागढ़।
3. निजी सचिव, मा० सदस्य, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग पांचवा तल, चन्द्रलोक भवन 36—जनपथ नई दिल्ली को प्रेषित। कृपया मा० सदस्य के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।


(डॉ० नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस०
पिथौरागढ़।

सेवा में

निदेशक,
आई०सी०डी०एस०
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक C567 / जि०का०अ० / कुपोषण / 2012-13

दिनांक 8 अगस्त 2013

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ **Nutrition Rehabilitation Center (NRC)** की
स्थापना किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 1-8-2013 को मा० सदस्य, राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया है कि जनपद पिथौरागढ़ की भौगोलिक परिवेश व सुदूर सीमान्त जनपद होने के कारण यहां के बच्चों को कुपोषण के मुक्त करने के लिए एक **Nutrition Rehabilitation Center** की स्थापना करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता **child Mal Nutrition** दूर करने की है। इस सम्बन्ध में जनपद पिथौरागढ़ में **Nutrition Rehabilitation Center (NRC)** की स्थापना करने हेतु शासन स्तर पर अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस०
पिथौरागढ़

पृष्ठांकन संख्या एवं तिथि उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- 1- डॉ० योगेश दुबे, मा० सदस्य, बालक अधिकार आयोग, नई दिल्ली को उनके द्वारा दिये गया निर्देश के क्रम में सूचनार्थ।
2- जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को सूचनार्थ।
3- मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ को सूचनार्थ।
4- मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ का इस आशय से प्रेषित की **Nutrition Rehabilitation Center (NRC)** की स्थापना चिकित्सा विभाग द्वारा किये जाते हैं, अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि अपने स्तर से कार्यवाही करने करने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई०सी०डी०एस०
पिथौरागढ़

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

प्रेषित,

सचिव,
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

संख्या CS73 /तैतीस- /2013

दिनांक अगस्त 13, 2013

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं जनपद में माह जून में दिनांक 16/17 /18.2013 को हुई लगातार अतिवृष्टि उपरान्त जनपद में काफी अधिक क्षति हुई है एवं आम जनजीवन/रोजगार इत्यादि में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इसबीच भारत सरकार के राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, के सदस्य डॉ० योगेश दुबे दिनांक 30.7.2013 से 1.8.2013 तक जनपद के भ्रमण पर थे और उनके द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया। राहत शिविरों एवं प्रभावित क्षेत्रों के पुरुषों/ महिलाओं/किशोरियों से उनके द्वारा सम्पर्क कर समस्याओं की जानकारी ली। उनके द्वारा आपदा से प्रभावित क्षेत्र में कई छोटे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एवं परवरिस आई कमी को देखते हुये प्रभावित क्षेत्र में RAJIV GANDHI NATIONAL CRECHE SCHEME FOR THE CHILDREN OF WORKING MOTHERS योजना संचालित किये जाने की आवश्यकता बताई गई।

इस आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्थायें भी प्रभावित हुई हैं। यहाँ पर पारिवारिक परिवेश में महिला, बच्चों की देखरेख/पालन-पोषण की जिम्मेदारी के साथ-2 सामाजिक,आर्थिक, पारिम्परिक रोजगार,रहन-सहन आदि में अहम भूमिका निभाती है और दिन में बच्चों की देखरेख हेतु इस प्रकार की संस्था की सेवा उपलब्ध होने पर वह अपने दैनिक कार्यों को निपटा सकती है। तत्परिपेक्ष्य में यह योजना लाभदायी हो सकती है। वर्तमान में यह योजना उत्तराखण्ड राज्य में संचालित नहीं हो रही है परन्तु

आपदा प्रभावित जिलों में इसे संचालित किये जाने हेतु क्षेत्र के गरीब एवं कामकाजी महिलाओं के बच्चों की अच्छी देखदेख व परवरिस हो सकेगी।

अतः अनुरोध है कि जनपद पिथौरागढ़ में भी RAJIV GANDHI NATIONAL CRECHE SCHEME FOR THE CHILDREN OF WORKING MOTHERS योजना को संचालित करने हेतु शासन स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या एवं तिथि उक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिथौरागढ़।
3. निजी सचिव, मा० सदस्य, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग पांचवा तल, चन्द्रलोक भवन 36—जनपथ नई दिल्ली को प्रेषित। कृपया मा० सदस्य के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

(डॉ० नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या-7/1021/19/2013

दिनांक 01.8.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को तदनुसार अनुपालनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपरोक्त समिति के सदस्य।
2. ✓ जिला कार्यक्रम अधिकारी पिथौरागढ़।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़।

(डॉ० नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

9/8/13

प्रेषक,

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़।

सेवा में,

✓ डॉ० योगेश दुबे,

मा० सदस्य,

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

पांचवा तल, चन्द्रलोक भवन

36-जनपथ नई दिल्ली।

संख्या ज्ञाप/तेरह- आपदा/2013

दिनांक अगस्त 01, 2013

महोदय,

आज दिनांक 01.8.2013 को आपके जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण के दौरान आहूत बैठक में हुई चर्चा के क्रम में जनपद अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से आपदाग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाले प्रभावित, विशेषकर अनाथ बच्चे अथवा जिनके माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया है अथवा लापता हैं, महिलायें (विशेषकर जिनके पति की मृत्यु जो गई है अथवा लापता हैं) तथा बुर्जगों की समस्याओं को ज्ञात करने हेतु एक कमेटी का गठन कर लिया गया है।

कार्यालय आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० नीरज खरवाल)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।


कार्यालय ज्ञाप

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत माह जून में हुई अतिवृष्टि एवं नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण प्राकृतिक आपदा से जनहानि/लापता होने के साथ कई परिवारों के मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। इस प्राकृतिक आपदा से आपदाग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाले प्रभावित, विशेषकर अनाथ बच्चे अथवा जिनके माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया है अथवा लापता हैं, महिलायें(विशेषकर जिनके पति की मृत्यु जो गई है अथवा लापता हैं) तथा बुर्जगों की समस्याओं को ज्ञात करने हेतु जनपद स्तर पर निम्न प्रकार से कमेटी का गठन किया जाता है।

1. डॉ० ऊषा गुन्जयाल, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
2. श्री कुन्दन सिंह टोलिया, जिला उपाध्यक्ष, रेडक्रास सोसाइटी पिथौरागढ़।
3. श्री महेश चन्द्र मखौलिया, चेयरमैन, जिला मैनेजिंग कमेटी, रेडक्रास सोसाइटी पिथौरागढ़।
4. श्री मनोज कुमार पाण्डे, सदस्य, बाल कल्याण आयोग पिथौरागढ़, निवासी देवलथल।
5. श्री जगदीश कालोनी, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, पिथौरागढ़।

कमेटी संयुक्त रूप से अथवा आवश्यकतानुसार अलग-अलग टीम के रूप विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेगी तथा कमेटी का दायित्व होगा कि प्रभावितों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं को ज्ञात करें तथा उनके निराकरण हेतु अपने सुझाव जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ को उपलब्ध करायेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ उक्त समिति द्वारा उपलब्ध करायी गई समस्याओं/सुझावों का निराकरण अपने स्तर पर करेंगे तथा प्रभावितों को उपलब्ध करायी जाने वाली सहायता आदि का वितरण सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु आपको जो आवश्यकता होगी उसकी उपलब्धता हेतु आप अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ एवं जिला विकास अधिकारी पिथौरागढ़ तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों से समन्वय कर माँग के अनुरूप आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। तथा प्रतिदिन आख्या से प्रभारी अधिकारी(दैवीय आपदा) जिला कार्यालय पिथौरागढ़ को अवगत करायेंगे।

दिनांक अगस्त 01, 2013


(डॉ० नीरज खेरवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ।